उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

विज्ञप्ति

06 सितम्बर, 2018 ई0

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों तथा गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह उत्पादन केन्द्रों से विद्युत आपूर्ति के लिए टैरिफ व अन्य शर्तें) विनियम, 2018

सं0 9(28)/RG/UERC/2018/815—विद्युत अधिनियम, 2003 के खण्ड 61 (h), 86 (1) (e) के साथ खण्ड 181 (zd) तथा (zp) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा अन्य सभी प्राप्त शक्तियों के अनुसार तथा पूर्व प्रकाशन के उपरान्त उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग निम्नलिखित विनियम बना रहा है, अर्थात् —

भाग—1

प्रारम्भिक

1 संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ

(1) ये विनियम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों तथा गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह—उत्पादन केन्द्रों से विद्युत आपूर्ति के लिए टैरिफ व अन्य शर्तें) विनियम, 2018 कहे जाएँगे।

(2) ये विनियम विज्ञप्ति की तिथि से लागू माने जाएँगे, तथा यदि ये विनियम आयोग द्वारा पूर्व में पुनरीक्षित न किए जाएँ अथवा इनकी अवधि बढ़ाई न जाए, तो ये विनियम लागू होने की तिथि से पाँच वर्ष के लिए प्रभावी रहेंगे।

(यह विनियम सरकारी गजट दिनांक 22.09.2018 में प्रकाशित अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है, किसी भी तरह के निर्वचन अथवा विवाद (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम एवं मान्य होगा।)

2 क्षेत्र तथा विस्तार :

(1) ये विनियम उन सभी मामलों में लागू होंगे, जहाँ इन विनियमों के लागू होने के बाद नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित उत्पादन केन्द्रों से उत्तराखण्ड राज्य के अन्दर वितरण लाइसेन्सधारकों अथवा ग्रामीण ग्रिड को विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

शर्त यह है कि पवन, लघु जल परियोजनाओं, रैनकाइन चक्र ;त्दापदम ब्लबसमद्ध पर आधारित बायोमास ऊर्जा, गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह—उत्पादन परियोजनाओं, सौर पीवी, नहर के किनारे व नहर के ऊपर लगने वाले सौर पीवी, सौर ताप विद्युत परियोजनाओं, ग्रिड से जुड़े रूफ टॉप और छोटे सौर पीवी संयंत्रों बायोमास गैसीफायर और बायोगैस, नगरीय ठोस अपशिष्ट और उच्छिष्ट ईंधन से चलने वाली विद्युत परियोजनाओं पर ये नियम तभी लागू होंगे, यदि वे इस विनियम के नियम 4 में दिए गए अर्हता मानकों को पूरा करती हों।

शर्त यह भी है कि इस विनियम के अध्याय 4 व 5 के नियम (नियम 26 के उप नियम (1) की धारा (बी) तथा (सी) के अतिरिक्त) उन उत्पादन केन्द्रों पर लागू नहीं होंगे, जो इस विनियम के लागू होने से पहले से काम कर रहे हैं, तथा उनके लिए उनकी वर्तमान टैरिफ ही मान्य होंगे।

शर्त यह भी है कि नियम 10 के उप नियम (3) की धारा (डी), नियम 14 के उप नियम 7 के दूसरे व तीसरे प्रतिबन्ध इस विनियम के लागू होने से वहले से काम कर रहे केन्द्रों पर लागू होंगे।

शर्त यह भी है कि टैरिफ के आकलन के लिए वही नियम लागू होंगे, जो उन केन्द्रों के कार्य करना प्रारम्भ करने के वर्ष में लागू थे।

शर्त यह भी है कि नियम 15 (1) (सी) में उल्लिखित उन सौर ताप/पीवी उत्पादन केन्द्रों पर सामान्य टैरिफ के अतिरिक्त 12 पैसें/यूनिट की दर से नियमतः सम टैरिफ भी देय होगा, जो इन नियमों के लागू होने से पहले से कार्य कर रहे हैं।

शर्त यह भी है कि अध्याय 4 व 5 में दिए गए नियमों के अतिरिक्त अन्य सभी नियम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित अन्य उत्पादन केन्द्रों पर लागू होंगे, जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों (जिनमें गैर जीवाश्म आधारित सह–उत्पादन केन्द्र भी शामिल हैं) पर आधारित हैं, तथा जो राज्य के वितरण लाइसेन्सी व्यक्ति (जो राज्य के पारेषण और/या वितरण व्यवस्था का उपयोग कर रहा है) के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को विद्युत का पारेषण और/या आपूर्ति कर रहे हैं।

(2) जो वर्तमान परियोजनाएँ इस समय तृतीय पक्ष को विद्युत आपूर्ति कर रही हैं, उनके पास यह विकल्प होगा कि वे इस विनियम के नियम 7 की व्यवस्था के अनुसार वितरण लाइसेन्सधारक को या स्थानीय ग्रामीण ग्रिड को आपूर्ति शुरू कर दें। यह आपूर्ति उन्हीं सामान्य टैरिफ पर की जाएगी, जो उनकी परियोजना के शुरू होने के समय मान्य था, अथवा वे आयोग से परियोजना के लिए अलग से भी टैरिफ का निर्धारण करवा सकते हैं। यह विकल्प परियोजना के शेष जीवन के लिए होगा, और एक बार लागू हो जाने के बाद इस बदला नहीं जाएगा।

(3) इन विनियमों के अन्तर्गत पवन, और पीवी तथा सौर ताप ऊर्जा परियोजनाओं के लिए निर्धारित सामान्य टैरिफ ही अधिकतम टैरिफ होगा;- तथा वितरण लाइसेन्सी/उरेडा इन उत्पादकों/विकसितकर्ताओं से विद्युत प्राप्त करने के लिए उत्पादकों/विकसितकर्ताओं से ही टैरिफ आधारित प्रतियोगितात्मक बोली आमंत्रित करेंगे। वितरण लाइसेन्सी उन उत्पादकों/विकसितकर्ताओं से विद्युत क्रय अनुबन्ध (पीपीए) करेंगे, जिन्होंने बोली में कम दरें दी हैं।

शर्त यह है कि पात्र सरकारी संगठनों (जो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट हैं) द्वारा नहर के किनारे तथा नहर के ऊपर लगाए जाने वाले सौर पीवी संयंत्रों का क्रियान्वयन तथा पात्र सरकारी संगठनों द्वारा लगाए जाने वाले सौर पीवी संयंत्रों का क्रियान्वयन टैरिफ आधारित प्रतियोगितात्मक बोली की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। इन मामलों में इन संयंत्रों से विद्युत की ब्रिक्री का विद्युत क्रय अनुबन्ध वितरण लाइसेन्सी के साथ जिस दर पर हस्ताक्षरित किया जाएगा, वह एल–1 बोलीदाता द्वारा लगाई गई बोली से 10% अधिक होगा।

शर्त यह भी है कि वितरण लाइसेन्सी द्वारा विद्युत क्रय के लिए कार्यान्वित किया जाने वाला विद्युत क्रय अनुबन्ध किसी भी दिशा में आयोग द्वारा नियमानुसार निर्धारित की गई टैरिफ की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगा।

(4) इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले उत्पादन केन्द्रों को उत्पादक कम्पनी का उत्पादन केन्द्र माना जाएगा, तथा विद्युत एक्ट, 2003 के अन्तर्गत उत्पादक कम्पनी को जो भी कार्य, दायित्व सौंपे जाएँगें व जो भी शर्तें रखी जाएँगी, वे इन उत्पादन केन्द्रों पर भी लागू होंगी।

3 परिभाषाएं

(1) जब तक प्रकरण में कोई अन्य तरह की आवश्यकता न हो, इन नियमों में प्रयोग किए गए शब्दों का अर्थ निम्नवत् होगा–

(a) **'एक्ट' (अधिनियम)** का अर्थ है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 (2003 का 36)

(b) एक उत्पादन–केन्द्र के किसी अवधि से सम्बन्धित 'ऑक्जीलियरी एनर्जी कन्जम्पशन' (सहायक ऊर्जा उपभोग) या 'एयू एक्स' का अर्थ है, उत्पादन–केन्द्र के सहायक उपकरणों द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा की मात्रा तथा उत्पादन–केन्द्र के अन्दर होने वाली ट्रांसफॉर्मर जनित हानियाँ, जिसे उत्पादन–केन्द्र की सभी इकाइयों द्वारा अन्तिम केन्द्र पर उत्पादित ऊर्जा के कुल योग के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।

(c) 'बैंकिंग' का अर्थ है, वह प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत एक सीमित उत्पादन–केन्द्र ग्रिड को विद्युत की आपूर्ति इस उद्देश्य से नहीं करता कि उसे तीसरे पक्ष या लाइसेन्सी को बेचा जाएगा, बल्कि इस उद्देश्य से करता है कि वह अपनी पात्रता का उपयोग करते हुए इस विद्युत को अपने उपयोग के लिए ग्रिड से वापस ले लेगा।

(d) 'बिलिंग साइकिल' या 'बिलिंग पीरियड' (बिलिंग चक्र या बिलिंग अवधि) का अर्थ है, एक महीने की वह अवधि, जिसके लिए लाइसेन्सी द्वारा प्रत्येक पात्र उपभोक्ता के लिए विद्युत बिल तैयार किया जाएगा।

(e) 'बायोमास' का अर्थ है, कृषि और वानिकी के कार्यों से निकले व्यर्थ पदार्थ (जैसे– पुआल, डंठल, चीड़ की पत्तियाँ और लैण्टाना) या कृषि–उपज से निकले उप–उत्पाद (जैसे– भूसा, छिलके, खली आदि) ऊर्जा के लिए किए गए वृक्षारोपण से प्राप्त लकड़ी या जंगली झाड़ियाँ/खर–पतवार, तथा कुछ औद्योगिक कार्यकलापों से निकलने वाली निरुपयोगी लकड़ी व अन्य व्यर्थ पदार्थ।

(f) 'बायोमास गैसीफिकेशन' या बायोमास से बनने वाली गैस का अर्थ है, बायोमास के पूरा न जलने के कारण उससे ज्वलनशील गैसें बनना, जिसमें कार्बन मोनो ऑक्साइड (सीओ), हाइड्रोजन (एच 2) और थोड़ी मात्रा में मीथेन (सीएच 4) मिली रहती है, जिसे उत्पादक गैस कहा जाता है।

(g) 'बायोमास' का अर्थ है, वह गैस, जो जैविक पदार्थों, जैसे–फसलों के अवशेष, मल आदि को ऑक्सीजन–मुक्त वातावरण में रखकर (सड़ाकर) बनाई जाती है।

(h) 'कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर' (क्षमता की उपयोगिता की स्थिति) या 'सीयूएफ' का अर्थ होगा, वह कुल ऊर्जा, जो उस अवधि में बाहर भेजी गई, जिसे कुल संस्थापित क्षमता में से उस अवधि में हुए मानक सहायक उपभोग (normative auxiliary consumption) को घटाकर प्रतिशत में व्यक्त किया गया।

$$\text{सीयूएफ} = \frac{\text{ईएसओ} \times 10^7}{\text{आईसी} \times (100 - \text{ए यू एक्स}) \times \text{एच}} \%$$

जहाँ,

ईएसओ = बाहर भेजी गई ऊर्जा एक्स–बस, अर्थात् उस अवधि में एमयू में अन्तर संयोजन बिन्दु पर,

आईसी = मेगावॉट में संस्थापित क्षमता,

एयू एक्स = मानक सहायक उपभोग का %,

एच = उस अवधि में कुल घण्टे

(i) 'कैपिटल कॉस्ट' (पूँजीगत लागत) का अर्थ है, वह पूँजीगत लागत, जो इस नियमावली के नियम 15 (1) के अन्तर्गत परिभाषित की गई है।

(j) 'कैप्टिव जेनरेटिंग प्लाण्ट' (सीमित उत्पादन संयंत्र) का अर्थ है, वह विद्युत संयंत्र, जो किसी व्यक्ति द्वारा मुख्यतः अपने उपयोग हेतु विद्युत उत्पादन करने के लिए लगाया गया है, अथवा वह विद्युत संयंत्र, जो किसी सहकारी समिति या व्यक्तियों के संघ द्वारा मुख्यतः इस समिति या संघ के सदस्यों के उपभोग के लिए विद्युत–उत्पादन करने हेतु लगाया गया है। इस स्थिति में कम से कम 26: स्वामित्व उपभोग करने वाले सदस्य/सदस्यों का होना चाहिए, और इस संयंत्र में उत्पादित कुल विद्युत (वार्षिक आधार पर) में से कम से कम 51: का उपभोग उस व्यक्ति या समिति/संघ के सदस्यों द्वारा किया जाता हो।

(k) 'कैप्टिव यूजर' (सीमित उपयोगकर्ता) का अर्थ है, सीमित उत्पादन संयंत्र में उत्पादित विद्युत को मुख्यतः अपने उपयोग में लाने वाला उपयोगकर्ता। इसी तरह, 'कैप्टिव यूज' (सीमित उपयोग) शब्द का भी प्रयोग किया जाएगा।

(l) कमीशन' (आयोग) का अर्थ है, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग।

(m) 'कण्ट्रोल पीरियड' या 'रिव्यू पीरियड' (नियंत्रण अवधि या पुनरीक्षण अवधि) का अर्थ है, वह अवधि, जिस दौरान इस विनियम में दिए गए टैरिफ के निर्धारण के मानक मान्य रहेंगे।

(n) एक इकाई के संदर्भ में 'डेट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन और कमीशनिंग' या 'सीओडी' (व्यावसायिक क्रियान्वयन या संस्थापन की तिथि) का अर्थ है, एक सफल परीक्षण के माध्यम से अधिकतम सतत रेटिंग प्राप्त करने पर उत्पादक द्वारा घोषित तिथि। उत्पादन–केन्द्र के संदर्भ में व्यावसायिक क्रियान्वयन की तिथि का अर्थ है, उत्पादन–केन्द्र की अन्तिम इकाई या ब्लॉक के व्यावसायिक क्रियान्वयन की तिथि। 'संस्थापन' शब्द का अर्थ भी तदनुसार ही लिया जाएगा।

शर्त यह है कि छोटे जल संयंत्रों के मामले में संस्थापन की तिथि को अधिकतम सतत रेटिंग की प्राप्ति से नहीं जोड़ा जाएगा, फिर भी, उत्पादनकर्ता को संस्थापन के तीन वर्ष के अन्दर से प्रदर्शित करना पड़ेगा।

शर्त यह भी है कि सौर पीवी संयंत्र के मामले में व्यावसायिक क्रियान्वयन या संस्थापन की तिथि वह मानी जाएगी, जिस दिन परियोजना के पूर्णरूपेण तैयार होने के बाद पहली बार लाइसेन्सी के ग्रिड में विद्युत पहुँचेगी। इससे पहले परियोजना को निम्नलिखित पूर्व–शर्तों को पूरा करना होगा–

(i) वितरण लाइसेन्सी के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रमाणित ऊर्जा मीटर लगाना।

(ii) परियोजना के पूर्ण होने की राज्य नोडल एजेन्सी उरेडा द्वारा प्रमाणित रिपोर्ट।

(iii) विद्युत निरीक्षक द्वारा जारी क्लियरेन्स प्रमाण पत्र।

(iv) इसके अतिरिक्त, ऐसे उत्पादनकर्ता को प्रारम्भिक संस्थान के लिए होने वाले निरीक्षण के समय, आकलित की गई प्रतिस्थापन क्षमता के आधार पर, किलोवॉट या मेगावॉट में, कम से कम 75 प्रतिशत कार्य किया जाना प्रदर्शित करना होगा।

(o) 'डिजाइन एनर्जी' (डिजाइन ऊर्जा) का अर्थ है, ऊर्जा की वह मात्रा, जो किसी 90: निर्भर—योग्य वर्ष में जल विद्युत उत्पादन केन्द्र की 95: संस्थापित क्षमता के द्वारा उत्पादित की जा सकती है।

(p) 'डिस्ट्रीब्यूशन' कोड (वितरण कोड) का अर्थ है, यूईआरसी (वितरण कोड) विनियम, 2018, जिसका विद्युत एक्ट, 2003 के खण्ड 14 तथा उसके साथ इसी एक्ट के खण्ड 181, और समय—समय पर संशोधित वितरण एवं खुदरा आपूर्ति लाइसेन्स की धारा 18 के अन्तर्गत उल्लेख किया गया है।

(q) 'एलीबेबल कन्जूमर' (अर्ह उपभोक्ता) का अर्थ है, वितरण लाइसेन्सी के आपूर्ति—क्षेत्र का कोई उपभोक्ता, जिसके पास अपनी विद्युत आवश्यकताओं के कुछ हिस्से की आपूर्ति के लिए या पूरी आपूर्ति के लिए छत पर लगने वाला या लघुत सौर ऊर्जा संयंत्र हो।

(r) 'एक्सपेण्डीचर इन्कर्ड' (किया गया व्यय) का अर्थ है, वह फण्ड (चाहे वह इक्विटी से प्राप्त हो या ऋण से या दोनों से), जो उपयोगी परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए या उन्हें प्राप्त करने के लिए वास्तव में व्यय किया गया, और जिसमें वे वचनबद्धताएँ तथा देनदारियाँ शामिल नहीं हैं, जिनके लिए कोई भुगतान नहीं किया गया।

(s) 'फोर्स मेज्योर इवेण्ट' (अप्रत्याशित घटना) का अर्थ है, कोई ऐसी घटना होना या परिस्थिति पैदा होना, जो उस पक्ष के नियंत्रण में बिलकुल नहीं है, और वह पक्ष पूरी देखरेख करने और पूरी सावधानी रखने के बावजूद उसे टालने में भी सक्षम नहीं है, न ही वह उन घटनाओं को नियंत्रित कर सकता है—

(i) प्राकृतिक कृत्य, जैसे — वज्रपात, भूस्खलन/तूफान, मौसम की मार, भूकम्प, बाढ़, सूखा और प्राकृतिक आपदाएँ या मौसम की असाधारण विपरीत परिस्थितियाँय

(ii) भीड़ द्वारा शत्रुतावश किया गया कोई कार्य, युद्ध (घोषित अथवा अघोषित), नाकाबन्दी, सरकारी प्रतिबन्ध, सशस्त्र विद्रोह, दंगे, क्रान्ति, तोड़—फोड़, आतंकवादी या सैन्य कार्यवाही, जान बूझकर नुकसान पहुँचाना तथा नागरिक उपद्रवय

(iii) ऐसी दुर्घटना, जिसे टाला न जा सके, जैसे— आग, विस्फोट, रेडियो एक्टिव प्रदूषण तथा विषैले खतरनाक रसायनों से प्रदूषण।

(iv) ग्रिड का बन्द होना या बाधित होना, जो राज्य या केन्द्र सरकार या आयोग या राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र द्वारा आवश्यक मानकर किया गया हो या उनके निर्देश पर हुआ हो, तथा बन्द

होने या बाधित होने की कोई भी कार्यवाही, जो किसी संयंत्र या उपकरण को विफलता के गम्भीर व आसन्न खतरे से बचाने के लिए किया गया हो।

(t) ग्रिड इण्टरऐक्टिव रूफ टॉप एण्ड स्मॉल सोलर पीवी प्लांट्स' (ग्रिड से जुड़े छत पर लगने वाले तथा लघु सौर पीवी संयंत्र) का अर्थ है, वे सौर पीवी संयंत्र, जो मकान की छत पर या उस मकान के परिसर में लगे हैं, और ग्रिड से जुड़े हैं।

(u) उत्पादन केन्द्र पर प्रयुक्त होने वाले ईंधन के सन्दर्भ में 'ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू' (कुल ऊष्मांक) या 'जीसीवी' का अर्थ है, एक किलोग्राम ठोस ईंधन या एक लीटर तरल ईंधन या एक मानकीकृत घनमीटर गैसीय ईंधन, जैसी भी स्थिति हो, को पूरी तरह जलाने के उपरान्त बनी ऊष्मा। यह ाब्स में मापी जाएगी।

(v) 'ग्रॉस स्टेशन हीट रेट' (केन्द्र की कुल ऊष्मा दर) या 'जीएसएचआर' का अर्थ है, ऊष्मा की वह ऊर्जा, kCal में, जिसकी ताप विद्युत उत्पादन–केन्द्र के अन्तिम उत्पादन बिन्दु पर एक kWh विद्युत ऊर्जा बनाने के लिए आवश्यकता होती है।

(w) 'हाईब्रिड सोलर थर्मल पावर प्लांट' (हाईब्रिड सौर ताप विद्युत संयंत्र) का अर्थ है, वह सौर ताप विद्युत संयंत्र, जो विद्युत उत्पादन के लिए सौर ताप ऊर्जा के साथ–साथ ऊर्जा के अन्य रूपों का भी प्रयोग करता है, और जिसमें कम से कम 75% विद्युत सौर ऊर्जा घटक से प्राप्त होती है।

(x) 'हाईब्रिड विण्ड सोलर पावर प्लांट' (हाईब्रिड पवन सौर विद्युत संयंत्र) का अर्थ है, वह हाईब्रिड संयंत्र, जिसमें सौर फोटोबोल्टाइक (पीवी) श्रृंखला को टरबाइन से जोड़ा गया हो, तथा इसे इस तरह से लगाया जाए कि दोनों का ग्रिड से एक ही जगह पर संयोजन हो।

(y) 'इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड' (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) या 'आईईजीसी' का अर्थ है, वह ग्रिड कोड, जो केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा के खण्ड 79 के उपखण्ड (1) की धारा (एच) के अन्तर्गत निर्दिष्ट किया गया है।

(z) 'इन्फर्म पावर' (हीन विद्युत) का अर्थ है, किसी उत्पादन–केन्द्र की इकाई द्वारा व्यावसायिक उत्पादन से पहले किए जाने वाले परीक्षण के दौरान उत्पादित विद्युत।

(aa) 'इन्स्टॉल्ड कैपेसिटी' (संस्थापित क्षमता) या 'आईसी' का अर्थ है, उत्पादन–केन्द्र की इकाइयों की निर्धारित क्षमताओं का योग या उत्पादन–केन्द्र की क्षमता (जिसकी अन्तिम उत्पादन–स्थान पर गणना की गई हो)।

(bb) 'इण्टर कनेक्शन प्वाइंट' (परस्पर संयोजित बिन्दु)– नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित सभी उत्पादन–केन्द्रों (ग्रिड इण्टरऐक्टिव रूफ टॉप और लघु सौर ऊर्जा परियोजनाओं के अतिरिक्त) के संदर्भ में 'इण्टर कनेक्शन प्वाइंट' का अर्थ होगा, नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन जिस वर्ष में

पारेषण–व्यवस्था या वितरण–व्यवस्था के साथ जुड़ता है, उस वर्ष में निर्गत स्थान वाले फीड़र के उत्पादक ट्रान्सफ़ॉर्मर के एचवी वाले हिस्से में लाइन आइसोलेटर के इण्टरफेस बिन्दु।

शर्त यह है कि ग्रिड इण्टरऐक्टिव रूफ टॉप और लघु सौर पीवी परियोजनाओं के मामले में परस्पर संयोजन वाले बिन्दु का अर्थ होगा, नेट मीटरिंग व्यवस्था के अन्तर्गत वह बिन्दु, जहाँ पर सौर ऊर्जा उत्पादन का लाइसेन्सी के नेटवर्क से मिलन होता है। सामान्यतः यह वह बिन्दु होगा, जहाँ लाइसेन्सी और अर्ह उपभोक्ता के बीच ऊर्जा का स्थानान्तरण मापने के लिए निर्गत/आगत मीटर लगाया जाता है।

(cc) 'एमएनआरई' का अर्थ है, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एण्ड रीन्यूएबल एनर्जी या नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय।

(dd) 'म्युनिसिपल सौलिड वेस्ट' (नगरीय ठोस अपशिष्ट) का अर्थ है, व इसमें शामिल है, नगर–क्षेत्रों या अधिसूचित क्षेत्रों का व्यावसायिक व आवासीय अपशिष्ट, चाहे वह ठोस रूप में हो या अर्ध–ठोस रूप में। इसमें खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट शामिल नहीं है, परन्तु वह जैव–चिकित्सीय अवशिष्ट शामिल हैं, जिनका परिशोधन किया गया हो।

(ee) 'नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड को–जेनरेशन' (गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन) का अर्थ है, वह प्रक्रिया, जिसमें बायोमास का प्रयोग करके ऊर्जा के एक से अधिक रूपों (जैसे– भाप और विद्युत) का क्रमबद्ध तरीके से उत्पादन किया जाता हो। शर्त यह है कि परियोजना को सह–उत्पादन परियोजना के लिए अर्ह बनाना चाहिए, यदि यह नियम 4(2)(ई) में उल्लिखित अर्हता के मानकों को पूरा करती हो।

(ff) 'ओपन एक्सेस' (निर्बाध पहुँच) का अर्थ है, पारेषण–लाइनों या वितरण–व्यवस्था या इन लाइनों या व्यवस्था से जुड़ी सहयोगी सुविधाओं के उपयोग के लिए सभी लाइसेन्सधारकों या उपभोक्ताओं या व्यक्तियों (जो उपयुक्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट नियमों के अनुसार उत्पादन कार्य कर रहे हैं) के लिए समान (गैर भेदभाव वाला) प्रबन्ध।

(gg) 'ओपन एक्सेस रेगुलेशन्स' (निर्बाध पहुँच विनियम) का अर्थ है, समय–समय पर संशोधित उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्य के अन्तर्गत निर्बाध पहुँच हेतु नियम व शर्तें)।

(hh) 'ऑपरेशन एण्ड मेन्टीनेन्स एक्सपेन्सेज' (संचालन व रखरखाव से सम्बन्धित व्यय) या 'ओ एण्ड एम. एक्सपेन्सेज' का अर्थ है, उत्पादन–केन्द्र या उसके एक हिस्से के संचालन व रखरखाव पर होने वाला व्यय। इसमें कामगारों, मरम्मत, अतिरिक्त सामग्री/उपकरण, बीमा, उपभोग्य सामग्री पर होने वाला व्यय व अतिरिक्त व्यय शामिल है।

(ii) 'पीक आवर्स/ऑफ पीक आवर्स' का अर्थ है, दिन के कुछ खास घण्टे, जो आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित किए जाते हैं।

(jj) 'परफॉर्मेन्स रेश्यो' (कार्य—सम्पादन अनुपात) या पीआर का अर्थ है, किसी एक समय पर संयंत्र के वास्तविक उत्पादन तथा उसकी संस्थापित क्षमता का मापे गए विकिरण के संदर्भ में अनुपात।

$$\text{पी.आर.} = \frac{\text{उत्पादन की kW में माप}}{\text{kW में संयंत्र की संस्थापित क्षमता}} \times \frac{\text{1000 वॉट / एम}^2}{\text{मापे गए विकिरण की तीव्रता वॉट / एम}^2 \text{ में}}$$

(kk) 'पावर परचेज एग्रीमेन्ट' (विद्युत क्रय अनुबन्ध) या पीपीए का अर्थ है, विद्युत आपूर्ति के लिए उत्पादक कम्पनी और वितरण लाइसेन्सी के बीच निर्दिष्ट नियमों व शर्तों पर तथा इस व्यवस्था के साथ अनुबन्ध कि विद्युत की बिक्री का टैरिफ वह होगा, जो आयोग द्वारा समय—समय पर निर्धारित किया जाएगा।

(ll) 'प्रिमाइसेज' (परिसर) का अर्थ है, अर्ह उपभोक्ता के स्वामित्व वाली वह भूमि, भवन या अन्य निर्माण या इनका कुछ हिस्सा या इनका मिला—जुला स्वरूप, जिसमें छतों के ऊपरी हिस्से या/और ऊँचे निर्माण शामिल हैं।

(mm) 'प्रोजेक्ट/प्लांट' (परियोजना/संयंत्र) का अर्थ है, उत्पादन—केन्द्र तथा अन्तरसंयोजन के बिन्दु तक निष्क्रमण की व्यवस्था, जैसी भी स्थिति हो, तथा लघु जल विद्युत उत्पादन केन्द्र के मामले में उत्पादन योजना के वे सभी घटक शामिल होते हैं, जो उत्पादन में काम आते हैं, जैसे— बाँध, जल वाहक व्यवस्था, विद्युत उत्पादन—केन्द्र और उत्पादन इकाईयाँ।

(nn) 'रिफ्यूज्ड डेराइव्ड फ्यूल' (उच्छिष्ट के प्राप्त ईंधन) या 'आरडीएफ' का अर्थ है, ठोस अपशिष्ट के अलग किए हुए ज्वलनशील अंश (जिनमें सुखाने, डीस्टोनिंग करने, छोटे—छोटे टुकड़े करने, निर्जलीकरण करने के दौरान छोटी गोलियों या रोओं के रूप में क्लोरीन युक्त प्लास्टिक न पैदा हुआ हो), और ठोस अपशिष्ट के उन सभी ज्वलनशील घटकों को एक साथ मिलाना, जिन्हें ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सके।

(oo) 'रिन्यूएबवल एनर्जी' (नवीकरणीय ऊर्जा) का अर्थ है, ऊर्जा के नवीनीकृत किए जा सकने वाले स्रोतों से उत्पादित ऊर्जा, जो ग्रिड गुणवत्ता की हो।

(pp) 'रिन्यूएबल एनर्जी' बेस्ड जनेरेटिंग स्टेशन एण्ड नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड को—जेनरेटिंग स्टेशन्स' (नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन—केन्द्र तथा गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह—उत्पादन केन्द्र) का अर्थ है, परम्परागत उत्पादन—केन्द्रों के अतिरिक्त वे ऊर्जा संयंत्र, जो नवीकरणीय ऊर्जा से स्रोतों के ग्रिड गुणवत्ता की विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं।

(qq) 'रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज' (नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत) का अर्थ है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत, जैसे–लघु जल संयंत्र, पवन, सौर, साथ ही, समन्वित बायोमास, जैव ईंधन सह–उत्पादन, शहरी व नगरीय अवशिष्ट तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मान्य इसी प्रकार के अन्य स्रोत।

(rr) 'स्माल हाइड्रो प्लांट' (लघु जल संयंत्र) का अर्थ है, वे जल विद्युत परियोजनाएँ, जिनकी केन्द्र क्षमता/संस्थापित क्षमता 25 मेगावॉट तक है।

(ss) 'सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्रोजेक्ट' (सौर फोटोवोल्टाइक ऊर्जा परियोजना) का अर्थ है, वह परियोजना, जो फोटो वोल्टाइक (पीवी) तकनीकी के माध्यम से सूर्य की रोशनी को सीधे विद्युत में बदलती है।

(tt) 'सोलर पीवी पावर प्लांट्स ऑन कैनाल बैंक' (नहर के किनारे सौर पी.वी. ऊर्जा संयंत्र) का अर्थ है, वे सौर पीवी ऊर्जा संयंत्र, जिनकी स्थापना नहरों के किनारों पर की गई है।

(uu) 'सोलर पीवी पावर प्लांट्स ऑन कैनाल बैंक' (नहर के किनारे सौर पी.वी. ऊर्जा संयंत्र) का अर्थ है, वे सौर पीवी ऊर्जा संयंत्र, जिनकी स्थापना नहरों के किनारों पर की गई है।

(vv) 'सोलर थर्मल पावर प्रोजेक्ट' (सौर ताप ऊर्जा परियोजना) का अर्थ है, वह परियोजना, जो सूर्य की रोशनी का प्रयोग केन्द्रीभूत सौर ऊर्जा तकनीक (चाहे वह लाइन केन्द्रित सिद्धान्त पर आधारित हो अथवा प्वाइंट केन्द्रिय सिद्धान्त पर) के माध्यम से उसे विद्युत में बदलने के लिए करती है।

(ww) 'सेलेबल एनर्जी' (विक्रय योग्य ऊर्जा) का अर्थ है, गृह राज्य को निःशुल्क ऊर्जा (यदि कोई हो) देने के उपरान्त ऊर्जा की जितनी मात्रा बिक्री के लिए (एक्स बस) उपलब्ध हो।

(xx) 'स्टेट ग्रिड कोड' (राज्य ग्रिड कोड) का अर्थ है, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2016, जिसे उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा एक्ट के खण्ड 86 के उपखण्ड (1) की धारा (एच) के अन्तर्गत निर्दिष्ट किया गया है।

(yy) 'टैरिफ पीरियड' (टैरिफ की अवधि) का अर्थ है, वह अवधि, जिसके लिए आयोग द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत दी गई शर्तों के आधार पर टैरिफ का निर्धारण किया जाना है।

(zz) 'थर्ड पार्टी ओनर' (तृतीय पक्ष स्वामी) का अर्थ है, वह विकसितकर्ता, जिसने किसी अर्ह उपभोक्ता के परिसर में अपना संयंत्र लगाया है और उससे सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है, तथा उसने उस अर्ह उपभोक्ता से लीज/व्यावसायिक अनुबन्ध किया है।

(aaa) 'यूजफुल लाइफ' (उपयोगी जीवन)– किसी उत्पादन–केन्द्र की इकाई (निष्क्रमण व्यवस्था सहित) के संदर्भ में 'उपयोगी जीवन' का अर्थ होगा, इस उत्पादन प्रक्रिया के व्यावसायिक रूप से क्रियाशील होने की तिथि से निम्नलिखित अवधि–

(i) पवन ऊर्जा विद्युत परियोजना 25 वर्ष

(ii)	बायोमास ऊर्जा परियोजना, जिसमें शामिल हैं— नगरीय ठोस अपशिष्ट और उच्छिष्ट पदार्थों से प्राप्त ईंधन पर आधारित ऊर्जा परियोजनाएँ (रैनकाइन साइकिल प्रौद्योगिकी सहित)	20 वर्ष
(iii)	गैर जीवाश्म ईंधन सह—उत्पादन परियोजना	20 वर्ष
(iv)	लघु जल संयंत्र	35 वर्ष
(v)	सौर पीवी/सौर ताप/ग्रिड इण्टरऐक्टिव रूफ टॉफ व लघु सौर पीवी संयंत्र/नहरों के किनारे/ नहरों के ऊपर सौर पीवी ऊर्जा संयंत्र	25 वर्ष
(vi)	बायोमास गैसीफायर आधारित ऊर्जा परियोजना	20 वर्ष
(vii)	बायोगैस आधारित ऊर्जा परियोजना	20 वर्ष

(bbb) 'इयर' (वर्ष) का अर्थ है, वित्तीय वर्ष।

(2) उपर्युक्त के अतिरिक्त, और जब तक कि संदर्भ के विपरीत न हो अथवा यदि विषय—वस्तु के लिए अन्यथा आवश्यकता हो, तो इन नियमों में प्रयुक्त जिन शब्दों और उक्तियों को परिभाषित नहीं किया गया है, पर उन्हें विद्युत एक्ट, 2003 में या यूईआरसी (राज्य ग्रिड कोड) विनियम या टैरिफ—निर्धारण के लिए आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित किया गया है, तो उनका अर्थ क्रमशः वही माना जाएगा, जो एक्ट या राज्य ग्रिड कोड विनियम या आयोग द्वारा टैरिफ—निर्धारण के लिए बनाए गए विनियम (समय—समय पर संशोधित) में दिया गया है।

अध्याय – 2

सामान्य शर्तें

4 गैर परम्परागत/नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर आधारित उत्पादन–केन्द्र के लिए अर्हता के मानक

(1) इन विनियमों के अन्तर्गत उन सभी प्रकार के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन–केन्द्रों से किया जाने वाला उत्पादन शामिल किया जाएगा, जो भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आई.ई.) द्वारा अनुमोदित हैं, तथा ये उत्पादन–केन्द्र सामूहिक रूप से नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन–केन्द्र और सह–उत्पादन केन्द्र माने जाएँगे।

(2) वर्तमान में, निम्नलिखित स्रोतों तथा प्रौद्योगिकी से किया जाने वाला उत्पादन इन विनियमों के अन्तर्गत माना जाएगा–

(a) लघु जल विद्युत परियोजना – वे उत्पादन–केन्द्र, जो राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में इस सम्बन्ध में अपनाई गई नीतियों के अन्तर्गत विकसित किए जा रहे हैं तथा एक ही स्थान पर 25 मेगावॉट के बराबर या उससे कम क्षमता वाले नये संयंत्र और मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं।

(b) पवन ऊर्जा परियोजना – वह परियोजना, जो ऐसी जगह पर स्थित हो, जहाँ 50 मीटर की हब ;भ्नइद्ध ऊँचाई पर न्यूनतम औसत वार्षिक पवन ऊर्जा घनत्व (डब्ल्यू पीडी) 200 वॉट/एम2 हो, तथा जो नये पवन टरबाइन जेनेरेटर का प्रयोग कर रही हो।

(c) सौर पी.वी., नहर के किनारे व नहर के ऊपर सौर पी.वी., सौर ताप तथा ग्रिड इण्टरऐक्टिव रूफ टॉप और लघु सौर पीवी ऊर्जा परियोजनाए – नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रौद्योगिकी पर आधारित।

(d) बायोमास/बायोगैस ऊर्जा परियोजना – वे बायोमास ऊर्जा परियोजनाएँ, जो रैनकाइन साइकिल प्रौद्योगिकी पर आधारित नये संयंत्र एवं मशीनों का प्रयोग कर रही हैं तथा जीवाश्म ईंधन का उपयोग किये बिना बायोमास ईंधन स्रोतों का प्रयोग कर रही हैं।

(e) गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन–केन्द्र – किसी परियोजना को गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजना तभी कहा जाएगा, यदि वह नये संयंत्र एवं मशीनों का प्रयोग कर रही है, तथा तत्सम्बन्धी परिभाषा के अनुरूप है, व नीचे दी गई अर्हताओं को पूरा करती है–

सह–उत्पादन की टॉपिंग चक्र विधि– ऐसी कोई भी व्यवस्था, जो विद्युत उत्पादन के लिए गैर जीवाश्म ईंधन का उपयोग करती है, तथा साथ ही उस ताप

ऊर्जा का भी उपयोग करती है, जो अन्य औद्योगिक गतिविधियों में प्रयुक्त होने वाली उपयोगी ऊष्मा के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए उत्पादित की जाती है।

शर्त यह है कि टॉपिंग चक्र विधि के अन्तर्गत सह–उत्पादन व्यवस्था के रूप में पात्र होने के लिए यह आवश्यक है कि उस सीजन के अन्तर्गत उत्पादित उपयोगी विद्युत तथा उत्पादित उपयोगी ताप का आधा मिलाकर सह–उत्पादन व्यवस्था के कुल ऊर्जा उपयोग के 45% से अधिक हो।

व्याख्या – इस धारा के अन्तर्गत

(i) 'यूजफुल पावर आउटपुट' (उत्पादित उपयोगी ऊर्जा) उत्पादनकर्ता से प्राप्त सकल विद्युत उत्पादन है। सह–उत्पादन संयंत्र में स्वयं भी सहायक उपभोग होगा (उदाहरणतः बॉयलर फीड पम्प तथा एफ.डी./आई.डी. पंखे)। ऊर्जा के शुद्ध (net) उत्पादन का आकलन करने के लिए सकल (gross) उत्पादन में से सहायक उपभोग को घटाना आवश्यक होगा। गणना में आसानी के लिए, उपयोगी ऊर्जा उत्पादन को उत्पादनकर्ता के सकल विद्युत (kWh) उत्पादन की तरह परिभाषित किया जाता है।

(ii) 'यूजफुल थर्मल आउटपुट' (उपयोगी ताप उत्पादन) वह उपयोगी ऊष्मा (भाप) है, जो सह–उत्पादन व्यवस्था द्वारा इस प्रक्रिया को उपलब्ध कराई जाती है।

(iii) इस व्यवस्था का 'एनर्जी कंजम्पशन' (ऊर्जा उपभोग) प्राप्त की गई वह उपयोगी ऊर्जा है, जिसकी ईंधन (सामान्यतः 'बगैस' या इसी तरह का कोई अन्य ईंधन) से आपूर्ति की जाती है।

(iv) 'टॉपिंग चक्र' का अर्थ है, वह सह–उत्पादन प्रक्रिया, जिसमें ताप ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है, तदुपरान्त उपयोगी ऊष्मा का प्रयोग औद्योगिक गतिविधियों में किया जाता है।

(f) 'बायोमास गैसीफायर बेस्ड पावर प्रोजेक्ट' (बायोमास गैसीफायर आधारित ऊर्जा परियोजना) – कोई परियोजना तभी बायोमास गैसीफायर आधारित ऊर्जा परियोजना कहलाने की पात्र होगी, यदि वह नये संयंत्र तथा मशीनों का प्रयोग कर रही हो, और उसके पास ग्रिड से जुड़ी ऐसी प्रणाली हो, जो 100: उत्पादक गैस इंजन का उपयोग करती है, व नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित गैसीफायर प्रौद्योगिकियों से जुड़ी है।

(g) 'बायोगैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट' (बायोगैस आधारित ऊर्जा परियोजना) – कोई परियोजना तभी बायोगैस आधारित ऊर्जा परियोजना कहलाने की पात्र होगी, यदि वह नये संयंत्र और मशीनों का प्रयोग कर रही हो तथा उसके पास ग्रिड से जुड़ी ऐसी प्रणाली हो, जो 100: बायोगैस से चलने वाले ऐसे इंजन का प्रयोग करती हो, जिसमें

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित ऐसी बायोगैस प्रौद्योगिकी जुड़ी हो, जिसमें फसलों के अवशेष, गोबर व अन्य जैविक अपशिष्ट का साथ–साथ प्रयोग होता हो।

(h) 'म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स' (नगरीय ठोस अपशिष्ट आधारित ऊर्जा परियोजनाएँ) – कोई परियोजना तभी नगरीय ठोस अपशिष्ट आधारित ऊर्जा परियोजना कहलाने के लिए पात्र होगी, यदि वह रैनकाइन चक्र प्रौद्योगिकी पर आधारित नये संयंत्र एवं मशीनों का प्रयोग कर रही हो, तथा ईंधन के रूप में नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रयोग कर रही हो।

(i) 'रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स' (उच्छिष्ट से बने ईंधन पर आधारित ऊर्जा परियोजनाएँ) – कोई परियोजना तभी उच्छिष्ट से बने ईंधन पर आधारित ऊर्जा परियोजना कहलाने के लिए पात्र होगी, यदि वह रैनकाइन चक्र प्रौद्योगिकी पर आधारित नये संयंत्र और मशीनों का प्रयोग कर रही हो, तथा ईंधन के स्रोत के रूप में उच्छिष्ट से बने ईंधन का प्रयोग कर रही हो।

(j) 'हाईब्रिड विण्ड–सोलर पावर प्लांट' (हाईब्रिड पवन–सौर ऊर्जा संयंत्र) – कोई परियोजना तभी हाईब्रिड पवन–सौर ऊर्जा संयंत्र कहलाने के लिए पात्र होगी, यदि सौर फोटो वॉल्टाइक (पीवी) इस प्रकार संयोजित हों कि वे एक पवन टरबाईन से लगे हों और कार्य सम्पादन के लिए ग्रिड–संयोजन के एक ही बिन्दु पर जोड़े गए हों।

(3) कोई भी नया स्रोत या प्रौद्योगिकी तभी – 'नवीकरणीय ऊर्जा' कहलाने की पात्र होगी, जब वह स्रोत या प्रौद्योगिकी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अथवा केन्द्रीय मंत्रालय के अधीन किसी सक्षम प्राधिकार द्वारा वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किसी प्रौद्योगिकी पर आधारित हो। इसके अतिरिक्त, आयोग केन्द्रीय मंत्रालय के अधीन कार्यरत किसी सक्षम प्राधिकार द्वारा वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित ऐसी प्रौद्योगिकी को अनुमोदित किए जाने के उपरान्त प्रत्येक प्रौद्योगिकी के लिए टैरिफ निर्धारित करेगा।

5 पर्यावरणीय तथा अन्य क्लियरेन्सेज

(1) नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन–केन्द्रों तथा सह–उत्पादन केन्द्रों को उत्सर्जन–मानकों/पर्यावरणीय नियमों का पालन करना होगा, जो केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा बनाए गए हैं, तथा इसके लिए उन्हें केन्द्रीय/राज्य प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकारों, जहाँ भी लागू हैं, से आवश्यक पर्यावरणीय व प्रदूषण क्लियरेन्स प्राप्त करनी होगी।

(2) नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन—केन्द्रों तथा सह—उत्पादन—केन्द्रों को, जहाँ कहीं आवश्यक हो, राज्य सरकार/उत्तराखण्ड नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) से आवश्यक क्लियरेन्स प्राप्त करनी होगी।

6 उत्पादन—केन्द्र के कार्य व दायित्वः

(1) नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन—केन्द्रों तथा सह—उत्पादन—केन्द्रों को 'विस्तृत परियोजना रिपोर्ट' (डी.पी.आर.) में उस स्रोत से उपलब्ध विद्युत उत्पादन की सामर्थ्य तथा उसके उपयुक्ततम उपयोग को ध्यान में रखकर अपने उत्पादन संयंत्र की क्षमता का विवरण देना होगा। उनका यह भी दायित्व होगा कि वे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, निर्माण की प्रगति तथा उत्पादन—संयंत्र की संस्थापना से सम्बन्धित विस्तृत विवरण अथवा कोई अन्य सम्बन्धित सूचना आयोग के पास उसी प्रारूप में तथा उसी रीति से जमा करें, जैसा आयोग ने चाहा हो।

(2) नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन—केन्द्र तथा सह—उत्पादन—केन्द्र :

(a) यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा सभी सरकारी व अन्य वैधानिक देयों का निर्धारित समय के अन्दर भुगतान कर दिया गया है।

(b) उत्पादन और/या पारेषण से सम्बन्धित तकनीकी विवरण जमा करेंगे, जैसा भी प्राधिकार/आयोग द्वारा लागत तथा सामर्थ्य से सम्बन्धित अध्ययन के लिए निर्दिष्ट किया गया हो।

(c) उत्पादन, पूरी की गई मांग, क्षमता की उपलब्धता, क्षमता उपयोगिता फैक्टर, सहायक उत्पादन, निश्चित ऊष्मा दर तथा तेल की निश्चित खपत या अन्य मानदण्डों आदि से सम्बन्धित सूचनाएँ वार्षिक आधार पर अथवा जैसा आयोग द्वारा समय—समय पर निर्देशित किया जाए, उसी तरह से जमा करेंगे।

(d) लेखा परीक्षण की वार्षिक रिपोर्ट के साथ—साथ वार्षिक आधार पर जमा किए गए आयकर रिटर्न की प्रति आयोग के पास जमा करेंगे।

शर्त यह है कि यदि उत्पादक के पास एक से अधिक क्रियाशील उत्पादन—केन्द्र हैं, तो वह संचालन एवं रखरखाव के व्यय का संयंत्रवार विवरण रखेंगे, तथा इसे वार्षिक आधार पर लेखा परीक्षण की वार्षिक रिपोर्ट के साथ आयोग के पास जमा करेंगे।

(e) राज्य लोड निर्गत केन्द्र (स्टेट लोड डिस्पैच सेण्टर) से सम्पर्क बनाए रखेंगे तथा इस केन्द्र के साथ डाटा ट्रांस्फर सिस्टम भी बनाएँगे, साथ ही, राज्य लोड निर्गत केन्द्र

तथा क्षेत्रीय लोड निर्गत केन्द्र (रीजनल लोड डिस्पैच सेण्टर) से निम्नलिखित कार्यों के लिए समन्वयन करेंगे –

(i) कार्यों के लिए योजना बनाना (शेड्यूलिंग);

(ii) ग्रिड के माध्यम से पारेषित की गई विद्युत की मात्रा के आँकड़ों का आदान–प्रदान करना;

(iii) भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (आई.ई.जी.सी.) तथा राज्य ग्रिड कोड के नियमों के अनुसार रियल टाइम ग्रिड ऑपरेशन तथा विद्युत निर्गत करना।

(3) नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित उत्पादन–केन्द्रों तथा सह–उत्पादन–केन्द्रों को ग्रिड का अनुशासन मानना होगा, तथा अपने संयंत्र व जनजीवन की सुरक्षा के लिए बचाव के पर्याप्त उपकरण लगाने होंगे। किसी कारणवश ग्रिड फेल होने या कोई व्यवधान पड़ने या संयंत्र अथवा उससे जुड़े उप–केन्द्र और पारेषण लाइन को नुकसान पहुँचने की दशा में वह किसी भी क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

(4) नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन–केन्द्र तथा सह–उत्पादन–केन्द्र, इन उत्पादन केन्द्रों, सहायक उप–केन्द्रों तथा इनकी पारेषण लाइनों (यदि उनके पास लाइनों की स्थापना का विकल्प हो, तो) की स्थापना करेंगे, उन्हें संचालित करेंगे तथा उनका रखरखाव करेंगे। ये कार्य निम्नलिखित के आधार पर होंगे–

(a) विद्युत संयंत्रों व विद्युत लाइनों के निर्माण तथा ग्रिड के साथ संयोजन के लिए प्राधिकार द्वारा निर्दिष्ट (ईए 2003 का खण्ड 73 (बी)

(b) प्राधिकार द्वारा निर्दिष्ट (ई.ए. 2003 का खण्ड 73 (सी) विद्युत संयंत्रों तथा विद्युत लाइनों के निर्माण, संचालन तथा रखरखाव के लिए सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताएँ।

(c) केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण या राज्य पारेषण उपयोगिता (स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी) द्वारा निर्दिष्ट (ई.ए. 2003 का खण्ड 73 (डी) पारेषण लाइनों के संचालन व रखरखाव के लिए ग्रिड मानदण्ड।

(d) प्राधिकरण अथवा राज्य पारेषण उपयोगिता (स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी) द्वारा निर्दिष्ट (ई.ए. 2003 का खण्ड 73 (ई) विद्युत आपूर्ति हेतु मीटरों के संस्थापन के लिए शर्तें।

(5) नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन–केन्द्रों तथा सह–उत्पादन–केन्द्रों को समय–समय पर संशोधित किए गए 'आई.ई.जी.सी.', राज्य ग्रिड कोड और वितरण कोड को मानना सुनिश्चित करना होगा।

(6) नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन–केन्द्रों तथा सह–उत्पादन–केन्द्रों को उत्पादक कम्पनियों के लिए आयोग द्वारा जारी किए गए किसी भी सामान्य व विशेष निर्देश को तथा विनियमों को मानना सुनिश्चित करना होगा।

(7) इन विनियमों की विज्ञप्ति की तिथि को कार्यरत उत्पादन–केन्द्रों द्वारा हस्ताक्षरित किए गए सभी ऊर्जा क्रय अनुबन्ध यदि इन विनियमों के अनुरूप नहीं हैं तो वे इन विनियमों के अनुसार संशोधित किए जाएँगे, और इस प्रकार संशोधित ऊर्जा क्रय अनुबन्ध नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन–केन्द्रों व सह–उत्पादन–केन्द्रों के पूरे जीवनकाल तक वैध रहेंगे।

(8) नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन–केन्द्र तथा सह–उत्पादन–केन्द्र राज्य के अन्दर पारेषण/वितरण व्यवस्था (जैसा एक्ट में दिया गया है) से सम्बन्धित नियोजन व समन्वय के लिए राज्य पारेषण उपयोगिता (स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी)/वितरण लाइसेन्सी से समन्वयन करेंगे।

(9) नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन–केन्द्र तथा सह–उत्पादन–केन्द्र राज्य लोड निर्गत केन्द्र द्वारा उन्हें दिए गए निर्देश मानने के लिए बाध्य होंगे। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो संयंत्र के विरुद्ध एक्ट के अन्तर्गत उचित कार्यवाही की जाएगी।

(10) नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन–केन्द्र तथा सह–उत्पादन–केन्द्र आयोग द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट अथवा निर्देशित शुल्क व अन्य देयों का भुगतान राज्य लोड निर्गत केन्द्र (स्टेट लोड डिस्पैच सेण्टर) को करेंगे।

(11) विद्युत की गुणवत्ता अथवा ग्रिड के सकुशल, सुरक्षित व समन्वित संचालन से सम्बन्धित या राज्य लोड निर्गत केन्द्र द्वारा दिए गए किसी निर्देश के सन्दर्भ में यदि कोई विवाद की स्थिति पैदा होती है तो यह मामला निर्णय के लिए आयोग के पास भेजा जाएगा।

7 ऊर्जा का विक्रयः

(1) प्रत्येक नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन–केन्द्र तथा सह–उत्पादन–केन्द्र को अपने उपयोग के लिए ऊर्जा की जितनी क्षमता की आवश्यकता है, यदि वह उससे अधिक उत्पादन कर रहे हैं, तो उन्हें बची हुई ऊर्जा वितरण लाइसेन्सी को बेचने की अनुमति होगी, बशर्ते वितरण लाइसेन्सी ऊर्जा क्रय अनुबन्ध करने को इच्छुक हो। वे इस ऊर्जा को आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर स्थानीय ग्रामीण ग्रिड को भी बेच सकते हैं। वे आपसी सहमति के आधार पर तय की गई दरों पर प्रदेश में या प्रदेश के बाहर के उपभोक्ता/व्यक्ति को भी इस ऊर्जा की बिक्री कर सकते हैं। (यह तभी हो पाएगा, यदि ऐसे उपभोक्ता को निर्बाध पहुँच विनियमों के अन्तर्गत निर्बाध पहुँच की अनुमति दी गई हो)।

(2) नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उक्त उत्पादन–केन्द्रों तथा सह–उत्पादन–केन्द्रों द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर वितरण लाइसेन्सी इन विनियमों तथा एक्ट व अन्य विनियमों में किए गए उपयुक्त प्रावधानों के अनुरूप एक ऊर्जा क्रय अनुबन्ध कर सकते हैं। हालांकि यदि वितरण लाइसेन्सी इस उत्पादक से ऊर्जा क्रय करना करना चाहते हैं तो वे उत्पादक–कम्पनी द्वारा प्रस्ताव दिए जाने के दो महीने के अन्दर ऊर्जा क्रय अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करेंगे। अन्यथा, यदि वितरण लाइसेन्सी उस उत्पादक से ऊर्जा का क्रय नहीं करना चाहते तो वे उत्पादक–कम्पनी को उनके द्वारा प्रस्ताव दिए जाने के एक महीने के अन्दर इस सम्बन्ध में सूचित करेंगे।

शर्त यह है कि जहाँ किसी परिसर में तीसरे पक्ष द्वारा कोई ग्रिड इण्टरऐक्टिव रूफ टॉप और लघु सौर जीवी संयंत्र स्थापित किया गया है, और वह पक्ष शुद्ध (net) ऊर्जा (परिसर के स्वामी द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पूरी ऊर्जा का समायोजन किए जाने के बाद बची हुई ऊर्जा) को वितरण लाइसेन्सी को बेचना चाहता है तो तीसरे पक्ष, पात्र उपभोक्ता तथा वितरण लाइसेन्सी के बीच एक त्रिपक्षीय अनुबन्ध करना होगा।

(3) उत्पादक कम्पनी के साथ हुए ऊर्जा क्रय अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किए जाने के एक महीने के अन्दर वितरण लाइसेन्सी इस अनुबन्ध के अनुमोदन के लिए आवेदन करेगा। यह आवेदन उसी प्रारूप पर तथा उसी रीति से करना होगा, जैसा इन विनियमों में तथा समय–समय पर संशोधित किए गए यू.ई.आर.सी. (कण्डक्ट ऑफ बिजनेस) विनियम, 2014 में निर्दिष्ट किया गया है।

8 निर्बाध पहुँचः

(1) सभी नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन–केन्द्रों व सह–उत्पादन–केन्द्रों को सीमित उपयोग के लिए राज्य पारेषण/वितरण प्रणाली में बिना भेदभाव के निर्बाध पहुँच की अनुमति होगी। उन्हें भी निर्बाध पहुँच की अनुमति होगी, जो विनियम 7 (1) के अन्तर्गत आते हैं। यह अनुमति निर्बाध पहुँच के विनियमों में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत ही होगी।

शर्त यह है कि 'निर्बाध पहुँच' की यह अनुमति राज्य पारेषण/वितरण प्रणाली में अतिरिक्त क्षमता की उपलब्धता के आधार पर ही दी जाएगी।

(2) यह निर्बाध पहुँच पारेषण/व्हीलिंग शुल्क के भुगतान तथा औसत पारेषण/वितरण हानियों का सामग्री या सेवा के रूप में समायोजन (जो इस विनियम के नियम 40 के अनुसार निर्धारित किया गया हो) किए जाने पर आधारित होगा।

(3) यदि राज्य पारेषण प्रणाली या राज्य वितरण प्रणाली में अतिरिक्त क्षमता की उपलब्धता के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठता है तो उस मामले को आयोग में भेजा जाएगा तथा आयोग ही उसका निर्णय करेगा।

अध्याय –3

नवीकरणीय क्रय दायित्व (आर.पी.ओ.)

9 'गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित विद्युत' की वितरण लाइसेन्सी द्वारा क्रय की जाने वाली मात्र

(1) एक्ट, राष्ट्रीय विद्युत नीति ऊर्जा के नवीकरणीय तथा गैर–परम्परागत स्रोतों के विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई टैरिफ नीति में किए गए प्रावधानों के अनुसार राज्य में सभी वर्तमान व भविष्य के वितरण लाइसेन्सधारकों, सीमित उपयोगकर्ताओं तथा निर्बाध पहुँच वाले उपभोक्ताओं (जिन्हें आगे 'ऑब्लीगेटेड एण्टिटी' कहा जाएगा) का दायित्व होगा कि वे विनियम 4 के अन्तर्गत परिभाषित पात्र नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित ऊर्जा में से अपनी कुल विद्युत आवश्यकता का न्यूनतम प्रतिशत (जैसा नीचे की तालिका में दिया गया है) अपने उपयोग के लिए रखें। इसे 'ऑब्लीगेटेड एण्टिटीज' का नवीकरणीय क्रय दायित्व (आर.पी.ओ.) कहा जाएगा।

वर्ष	नवीकरणीय क्रय दायित्व–गैर–सौर	नवीकरणीय क्रय दायित्व–सौर
2018-19	10.25%	6.75%
2019-20	10.25%	7.25%
2020-21	10.25%	8.75%
2021-22	10.50%	10.50%
2022-23	11.00%	11.00%

ऊपर दिया गया नवीकरणीय क्रय दायित्व का प्रतिशत गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन से क्रय की गई न्यूनतम मात्रा तथा ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोतों से उत्पादित विद्युत का, सभी स्रोतों से क्रय की गई कुल ऊर्जा/ऑब्लीगेटेड एण्टिटी द्वारा अपने उपयोग के लिए वर्ष में उत्पादित ऊर्जा का प्रतिशत दर्शाता है।

विभिन्न ऑब्लीगेटेड एण्टिटीज के लिए कुल ऊर्जा क्रय इस प्रकार होगा–

(a) डिस्कॉम्स (Discoms) के लिए अपने उपयोग के लिए वर्ष में सभी स्रोतों से क्रय की गई कुल ऊर्जा य तथा

(b) निर्बाध पहुँच वाले उपभोक्ताओं और सीमित उपयोगकर्ताओं के लिए अपने उपयोग के लिए वर्ष में क्रय ऊर्जा का ड्रॉल (Drawal)/उपभोग बिन्दु पर नापा गया उपयोग।

यह भी शर्त है कि गैर–सौर तथा सौर नवीकरणीय क्रय दायित्व (आर.पी.ओ.) किसी 'ऑब्लीगेटेड एण्टिटी' द्वारा क्रय की गई/उत्पादित की गई कुल विद्युत पर लागू होगा। इसमें ऊर्जा के जल–स्रोतों से क्रय की गई/उत्पादित की गई ऊर्जा शामिल नहीं होगी।

शर्त यह है कि सौर नवीकरणीय क्रय दायित्व की 85% या उससे अधिक की प्राप्ति में यदि कोई कमी रह जाए तो उस कमी को उस वर्ष के लिए निश्चित किए गए गैर–सौर नवीकरणीय क्रय दायित्व से अधिक की गैर–सौर ऊर्जा का क्रय करके पूरा किया जा सकता है।

शर्त यह भी है कि गैर–सौर नवीकरणीय क्रय दायित्व की 85% या उससे अधिक की प्राप्ति में यदि कोई कमी रह जाए तो उस कमी को उस वर्ष के लिए निश्चित किए गए सौर नवीकरणीय क्रय दायित्व से अधिक भी सौर ऊर्जा का क्रय करके पूरा किया जा सकता है।

(2) इस नवीकरणीय क्रय दायित्व ढाँचे के उद्देश्य से, प्रत्येक 'ऑब्लीगेटेड एण्टिटी' के लिए स्वयं के उत्पादन का अर्थ होगा, 'ऑब्लीगेटेड एण्टिटी' द्वारा अपने उपयोग के लिए या अपने कार्य–क्षेत्र के उपभोक्ताओं को आपूर्ति करने के उद्देश्य से सभी स्रोतों से क्रय की गई अथवा उपभोग की गई सकल ऊर्जा। इसमें लाइसेन्सधारकों या बाहरी उपभोक्ताओं को किसी भी तरह से की जाने वाली विद्युत की बिक्री शामिल नहीं है।

(3) वितरण लाइसेन्सी गैर 'ऑब्लीगेटेड एण्टिटी' द्वारा रूफ टॉप या लघु सौर ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित सकल ऊर्जा का अपने निर्धारित सौर नवीकरणीय क्रय दायित्व (रूफ टॉप या लघु सौर ऊर्जा संयंत्र द्वारा उत्पादित सकल ऊर्जा की मीटर रीडिंग पर आधारित) को पूरा करने के लिए उपयोग कर सकेगा।

अध्याय – 4

टैरिफ – सामान्य सिद्धान्त

10 टैरिफ

(1) इन विनियमों के अन्तर्गत जो टैरिफ निर्धारित किए गए हैं, वे केवल वितरण लाइसेन्सधारकों तथा स्थानीय ग्रामीण ग्रिड को बेची जाने वाली विद्युत पर ही लागू होंगे। जहाँ तक सम्भव होगा, आयोग, सी.ई.आर.सी., राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा दर नीति द्वारा निर्दिष्ट सिद्धान्तों व कार्यप्रणाली से मार्गदर्शन प्राप्त करेगा।

(2) नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादक केन्द्र तथा सह–उत्पादन केन्द्र (उनके अतिरिक्त, जिनका विवरण विनियम 2 के उप विनियम (1) के दूसरे प्रतिबन्ध के अन्तर्गत दिया गया है) सामान्य (जेनेरिक) टैरिफ का विकल्प चुन सकते हैं, जैसा कि इन विनियमों में विभिन्न प्रौद्योगिकियों के लिए निर्दिष्ट किए गए मानकों के आधार पर निर्धारित किया गया है, अथवा परियोजना विशिष्ट टैरिफ के निर्धारण के लिए आयोग के सम्मुख याचिका दायर कर सकते हैं। इसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन केन्द्र तथा सह–उत्पादन केन्द्र परियोजना की संस्थापना की तिथि से कम से कम तीन महीने पहले वितरण लाइसेन्सी को अपना विकल्प दे देंगे। यदि परियोजना में कई इकाइयाँ हों, तो यह विकल्प पहली इकाई की संस्थापना से कम से कम तीन महीने पहले देना होगा। एक बार लागू होने के बाद यह विकल्प विद्युत क्रय अनुबन्ध की पूरी अवधि के दौरान बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शर्त यह है कि परियोजना विशिष्ट टैरिफ का विकल्प एक मेगावॉट तक की स्थापित क्षमता वाले ग्रिड इण्टरऐक्टिव रुफ ऑफ व लघु सौर पी.वी. संयंत्रों, सौर पी.वी. ऊर्जा संयंत्रों, नहर के ऊपर व नहर के किनारे लगने वाले सौर पी.वी. ऊर्जा संयंत्रों, सौर ताप संयंत्रों, पवन ऊर्जा संयंत्रों तथा नवीकरणीय ऊर्जा आधारित परियोजनाओं के लिए उपलब्ध नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि उत्पादक कम्पनी ऊपर दिए गए निश्चित समय के अन्दर वितरण लाइसेन्सी को अपना विकल्प नहीं देती है तो उस पर परियोजना की संस्थापना की तिथि के आधार पर (एक से अधिक इकाइयाँ होने की स्थिति में पहली इकाई की संस्थापना की तिथि के आधार पर) सामान्य टैरिफ ही लागू होगा।

(3) आयोग द्वारा परियोजना विशिष्ट टैरिफ का निर्धारण अलग–अलग स्थितियों के आधार पर किया जाएगा, जो निम्नवत् हैं–

(a) उन परियोजनाओं के लिए, जो अपने टैरिफ के निर्धारण के लिए मानक पूँजीगत लागत के बजाय वास्तविक पूँजीगत लागत का विकल्प देती हैं,(ज़ैसा कि अध्याय 5 विभिन्न प्रौद्योगिकियों के लिए निर्दिष्ट किया गया है (उपर्युक्त विनियम 10(2) के पहले प्रतिबन्ध की शर्त पर निर्भर) नियत शुल्क की वसूली के लिए उस सी.यू.एफ. (उत्पादन) को आधार माना जाएगा, जो अनुमोदित डीपीआर में दिया गया है या फिर अध्याय 5 के अन्तर्गत संदर्भित प्रौद्योगिकी के लिए निर्दिष्ट किए गए मानक सी.यू. एफ. (दोनों में से जो भी अधिक हो) को आधार माना जाएगाय

(b) अन्य हाईब्रिड परियोजनाओं में शामिल हैं— नवीकरणीय — नवीकरणीय या नवीकरणीय — परम्परागत स्रोत, जिनके लिए नवीकरणीय प्रौद्योगिकी एम.एन.आर.ई. द्वारा अनुमोदित की गई हैय

(c) वे परियोजनाएँ, जिनके पास पुराने संयंत्र तथा उपकरण या मशीनें हैय

(d) नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक कम्पनी अपने नवीकरणीय ऊर्जा आधारित संयंत्र के उपयोगी जीवनकाल को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जाने वाले नवीनीकरण, आधुनिकीकरण तथा उन्नयन (आर.एम.यू.) पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए आयोग के सम्मुख सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगी। इसके साथ पूरे विवरण सहित डी.पी.आर., लागत–लाभ विश्लेषण, एक सांकेतिक तिथि से आगे जीवन काल में अनुमानित वृद्धि, वित्तीय पैकेज, चरणबद्ध रूप से होने वाला व्यय, पूर्ण होने का समय तथा आयोग द्वारा वांछित अन्य विवरण भी जमा करने होंगे। आयोग जब उनके लिए टैरिफ नियत करेगा तो विनियमों में दिए गए टैरिफ के मानकों (जो आर.एम.यू. गतिविधियों के पूरा होने के बाद की वास्तविक पूँजीगत लागत पर आधारित हैं) से मार्गदर्शन प्राप्त करेगा तथा ऐसे अन्य कारकों को भी ध्यान में रखेगा, जिन्हें आयोग उपयुक्त समझेगा।

(e) कोई अन्य नई नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी, जो एमएनआरई द्वारा अनुमोदित हो।

शर्त यह है कि परियोजना विशिष्ट टैरिफ निर्धारित करते समय आयोग इन विनियमों के अध्याय 4 व 5 में दी गई प्रौद्योगिकियों के लिए उन्हीं अध्यायों में दिए गए प्रावधानों से मार्ग दर्शन प्राप्त करेगा।

11 नियंत्रण की अवधि या समीक्षा अवधि

(1) इन विनियमों के अन्तर्गत नियंत्रण की अवधि या समीक्षा अवधि पाँच वर्ष की होगी, जिसमें पहला वर्ष वित्तीय वर्ष 2018—19 होगा।

शर्त यह है कि सौर पी.वी., नहर के किनारे और नहर के ऊपर सौर पी.वी., सौर ताप, नगरीय ठोस अपशिष्ट आधारित ऊर्जा परियोजनाओं, उच्छिष्ट से बने ईंधन पर आधारित ऊर्जा परियोजनाओं तथा ग्रिड इण्टरऐक्टिव रूफ टॉप व लघु सौर पी.वी. परियोजनाओं की आधार (बेंचमार्क) पूँजीगत लागत की आयोग द्वारा प्रतिवर्ष समीक्षा की जा सकती है।

शर्त यह भी है कि नियंत्रण की अवधि के दौरान संस्थापित की गई नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इन विनियमों के अनुसार निर्धारित किया गया टैरिफ पूरी टैरिफ अवधि के लिए लागू रहेगा।

12 टैरिफ तथा पी.पी.ए. अवधिः

(1) नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं के लिए टैरिफ अवधि परियोजना के उपयोगी जीवनकाल के बराबर ही होगी, जैसा कि इन विनियमों के नियम 3(1) (एएए) में निर्दिष्ट किया गया है।

(2) इन विनियमों के अन्तर्गत टैरिफ की अवधि नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र के व्यावसायिक संचालन अथवा संस्थापना की तिथि से प्रारम्भ मानी जाएगी।

(3) वितरण लाइसेन्सी के साथ पी.पी.ए. पूरी टैरिफ अवधि के लिए हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

13 परियोजना विशिष्ट टैरिफ के निर्धारण के लिए याचिका तथा विधिक कार्यवाही

(1) नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन केन्द्र तथा गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन केन्द्र अपने नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन केन्द्रों तथा सह–उत्पादन केन्द्रों की तैयार हो चुकी इकाइयों के संदर्भ में वास्तविक पूँजीगत लागत के आधार पर परियोजना विशिष्ट टैरिफ के निर्धारण के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन आयोग द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र पर करना होगा तथा उसके साथ आयोग द्वारा समय–समय पर माँगी गई सूचनाएँ भी देनी होंगी।

शर्त यह है कि परियोजना विशिष्ट टैरिफ के निर्धारण के लिए नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन केन्द्र तथा सह–उत्पादन केन्द्र अपनी याचिका के साथ डी.पी.आर. तथा पूँजीगत लागत की मदों का ब्यौरा भी जमा करेंगे।

(2) अन्तिम रूप से टैरिफ के नियत किए जाने तक नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन केन्द्र अथवा सह–उत्पादन केन्द्र या तो सामान्य टैरिफ को अस्थायी टैरिफ के रूप में स्वीकार कर सकते हैं या परियोजना के पूरे होने की अनुमानित तिथि से पहले अस्थायी दर के लिए अग्रिम आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, जो आवेदन पत्र देने की तिथि अथवा उससे पहले की किसी तिथि तक किए गए वास्तविक पूँजीगत व्यय पर आधारित होगा। यह व्यय–विवरण किसी

वैधानिक ऑडिटर द्वारा उपयुक्त तरीके से लेखा परीक्षित तथा प्रमाणित होना चाहिए। आयोग द्वारा निर्धारित किया गया अस्थायी टैरिफ उत्पादन केन्द्र की सम्बन्धित इकाई के व्यावसायिक संचालन की तिथि से लिया जा सकता है।

शर्त यह है कि नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन केन्द्रों तथा सह–उत्पादन केन्द्रों को व्यावसायिक संचालन अथवा संस्थापन की तिथि तक किए गए वास्तविक पूँजीगत व्यय के आधार पर अन्तिम रूप से टैरिफ निर्धारण के लिए व्यावसायिक संचालन की वास्तविक तिथि से 18 महीने के अन्दर एक नया आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(3) परियोजना विशिष्ट दर के निर्धारण के लिए दी जाने वाली याचिका के साथ समय–समय पर संशोधित किए गए यूईआरसी (शुल्क तथा जुर्माना) विनियम, 2002 में निर्दिष्ट शुल्क भी जमा करना होगा, तथा इनके साथ ही जमा करना होगा :

(a) प्रपत्र 1.1, 1.2, 2.1 तथा 2.2 (जैसी स्थिति हो) में सूचनाएँ, जो इन विनियमों में अनुलग्नक के रूप में दिए गए हैंय

(b) विस्तृत परियोजना प्रस्ताव, जिसमें पूँजीगत लागत तथा वित्तीय नियोजन के लिए तकनीकी और संचालन सम्बन्धी विवरण, कार्य–स्थल से सम्बन्धित पहलू, परिसर का विवरण आदि दिया गया होय

(c) लागू होने वाले सभी नियमों और शर्तों का विवरण तथा उस अवधि के अनुमानित व्यय का विवरण, जिसके लिए टैरिफ का निर्धारण किया जाना हैय

(d) किसी भी अनुदान और प्रोत्साहन, जो केन्द्र सरकार और/या राज्य सरकार से प्राप्त हुआ हो, प्राप्त होना हो या जिसके प्राप्त होने की आशा हो, की पूरी गणना का विवरण। इस विवरण में अनुदान और प्रोत्साहन के साथ तथा इसके बिना प्रस्तावित टैरिफ का विवरण भी अलग से देना होगाय

(e) वर्षवार तथा घटक/परिसम्पत्तिवार परियोजना लागत पर किए गए व्ययको दर्शाता ऑडीटर का प्रमाणपत्र और आई.डी.सी. व आई.ई.डी.सी. तथा, साथ ही, वार्षिक लेखे की वैधानिक ऑडिटर द्वारा विधिवत् लेखा परीक्षित व प्रमाणित प्रतियाँय

(f) ऋणों का ब्यौरा, साथ ही, पहली निकासी की तिथि से वित्तीय संस्थानों के स्टेटमेण्ट तथा ऋणदाता (ओं) का प्रमाणपत्र कि परियोजना को एन.पी.ए. के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, और यदि परियोजना को एनपीएन के रूप में वर्गीकृत किया गया हो तो परियोजना विशिष्ट टैरिफ का निर्धारण रोक दिया जाएगाँय और

(g) कोई भी अन्य सूचना, जो आयोग द्वारा याचिकाकर्ता से माँगी जाए।

(4) टैरिफ के निर्धारण की कार्यवाही यूईआरसी (कण्डक्ट ऑफ बिजनेस) रेगूलेशन, 2014 के अनुसार होगी।

14 टैरिफ स्वरूपः

(1) नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए टैरिफ एकल अंश टैरिफ (ैधी में) और एक्स–बस होगा, यानी, अन्तर्संयोजन बिन्दु पर सहायक उपभोग व पारेषण हानियों के उपरान्त, जैसा विनियम 3(1) (बीबी) में परिभाषित किया गया है।

शर्त यह है कि वे प्रौद्योगिकियाँ, जिनमें ईंधन की लागत का घटक शामिल रहता है (जैसे–बायोमास/बायोगैस/बायोमास गैसीफायर ऊर्जा परियोजनाँ उच्छिष्ट से बनने वाला ईंधन और गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन, उनके लिए टैरिफ का निर्धारण दो घटकों, यथा नियत लागत घटक तथा ईंधन लागत घटक, पर किया जाएगा।

(2) टैरिफ में निम्नलिखित नियत लागत घटक शामिल होंगे :

(a) इक्विटी पर लाभांशय

(b) ऋण की पूँजी पर ब्याजय

(c) मूल्य–ह्रासय

(d) कार्यशील पूँजी पर ब्याजय

(e) संचालन व रखरखाव पर व्यय।

(3) प्रत्येक प्रकार के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत तथा प्रत्येक तरह की नवीकरणीय प्रौद्योगिकी के लिए, जिनके लिए इन विनियमों में मानक निर्दिष्ट किए गए हैं, उनके लिए सामान्य दर अलग से निर्धारित की जा रही है।

(4) सामान्य टैरिफ इन विनियमों में प्रत्येक प्रकार के स्रोत के लिए निर्दिष्ट मानदण्डों तथा संयंत्र की संस्थापना के वर्ष के अनुसार मानकीकृत पैरामीटरों पर आधारित है। इन विनियमों के अन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन केन्द्रों तथा सह–उत्पादन केन्द्रों के लिए टैरिफ पूरे उत्पादन केन्द्र के लिए लागू होगा।

शर्त यह है कि ऐसे संयंत्र के लिए जिसमें एक से अधिक इकाइयँ हों और वे विभिन्न नियंत्रण अवधि के दौरान संस्थापित की गई हो, विद्युत की आपूर्ति का सामान्य टैरिफ विभिन्न विनियमों के अन्तर्गत संयंत्र की कुल क्षमता के लिए निर्दिष्ट टैरिफ के वेटेड औसत पर आधारित होगा।

(5) नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन केन्द्रों तथा सह–उत्पादन केन्द्रों के लिए परियोजना के उपयोगी जीवनकाल के लिए सम टैरिफ निर्दिष्ट किया जाएगा।

शर्त यह है कि नवीकरणीय ऊर्जा की प्रौद्योगिकियाँ, जिनका टैरिफ (₹/kWh में) दो घटकों का है, उनके लिए नियत लागत घटक का टैरिफ परियोजना की संस्थापना के वर्ष को ध्यान में रखते हुए सम–टैरिफ के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, जबकि ईंधन लागत घटक का टैरिफ संचालन के वर्ष के आधार पर।

(6) सम–टैरिफ की गणना के लिए पूँजीगत लागत के वेटेड औसत के बराबर छूट–फैक्टर (डिस्काउण्ट फैक्टर) को ध्यान में रखा जाएगा। पूँजीगत लागत के वेटेड औसत को निर्धारित करने के लिए इक्विटी पर कर–पूर्व लाभांश को कर के लिए लागू दरों पर समायोजित कर दिया जाएगा।

(7) इन विनियमों के अन्तर्गत निर्धारित टैरिफ को सम किए जाने में कार्य–निष्पादन के कारण या किसी अन्य कारण से कोई कमी रह जाती है या कोई प्राप्ति होती है तो इसे नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन केन्द्र और सह–उत्पादन केन्द्र द्वारा वहन किया जाएगा/रखा जाएगा तथा किसी भी पैरामीटर में ढील नहीं दी जाएगी (इसमें किसी भी कारण से हुआ अतिरिक्त पूँजीकरण भी शामिल है) व उसे सामान्य टैरिफ का विकल्प देने वाली परियोजनाओं या परियोजना विशिष्ट टैरिफ का विकल्प देने वाली परियोजनाओं के लिए टैरिफ की वैधता के दौरान निपटाया जाएगा। सिंक्रोनाइजेशन और इकाई की संस्थापना (हीन विद्युत) के बीच की अवधि में विद्युत की आपूर्ति का टैरिफ, परियोजना के उपयोगी जीवनकाल के लिए सम–सामान्य टैरिफ के नियत लागत घटक के 50% के बराबर होगा। यद्यपि, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियाँ, जिनमें ईंधन लागत घटक विद्यमान है, जैसे–बायोमास/बायोगैस/बायोमास गैसीफायर ऊर्जा परियोजनाएँ, उच्छिष्ट से बनने वाले ईंधन व गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन, उस वर्ष के लिए 50% सम–सामान्य टैरिफ के अतिरिक्त टैरिफ का ईंधन लागत घटक प्राप्त करने की भी पात्र होंगी।

शर्त यह है कि जहाँ परियोजना विशिष्ट दर निर्धारित की जा रही है, वहाँ हीन विद्युत से प्राप्त होने वाले राजस्व का उपयोग उपभोग किए गए ईंधन का मूल्य चुकाने के लिए किया जाएगा, जहाँ लागू हो, ताकि पूँजीगत लागत को कम किया जा सके।

शर्त यह है कि पूँजीगत प्रकृति का कोई भी अतिरिक्त व्यय, जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान को ठीक करने के लिए किए जाने वाले पुनर्निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक हो (पर इसमें उत्पादक कम्पनी की लापरवाही के कारण पावर हाउस का बहना शामिल नहीं है, उसके लिए आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जाँच के बाद, उन सभी उत्पादन केन्द्रों

को, जो इन विनियमों के अन्तर्गत आते हैं, किसी भी बीमा योजना से मिली राशि को समायोजित करने के उपरान्त, उस अतिरिक्त पूँजी का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। स्वीकार किए गए उपर्युक्त अतिरिक्त पूँजीगत व्यय के लिए विनियमों के अध्याय 4 व 5 में दिए गए मानकों के आधार पर परियोजना के शेष जीवनकाल के लिए टैरिफ में उपयुक्त समायोजन करने की अनुमति दी जाएगी।

शर्त यह है कि इस मद में अतिरिक्त पूँजीकरण की अनुमति तभी दी जाएगी, यदि उत्पादन केन्द्र के पास ऊपर दी गई प्राकृतिक आपदाओं के आने के समय उपयुक्त व पर्याप्त बीमा कवर उपलब्ध था। उत्पादक कम्पनी इस तरह की अप्रत्याशित घटना के बारे में जिसमें संयंत्र बन्द हो गया हो, आयोग तथा वितरण लाइसेन्सी को घटना घटित होने के सात दिन के अन्दर सूचित कर देगी। इस मामले में आयोग वितरण लाइसेन्सी तथा राज्य नोडल एजेन्सी को निर्देशित कर सकता है कि वे क्षतिग्रस्त संयंत्र को देखने जाएँ तथा उत्पादक/विकसितकर्ता के साथ मिलकर नुकसान की प्रकृति और प्रकार तथा आवश्यक पुनर्निर्माण कार्यों का आंलन करें।

15 वित्तीय सिद्धान्त :

(1) पूँजीगत लागत

(a) पूँजीगत लागत के मानकों में, जैसा कि आगे अध्याय 5 में प्रौद्योगिकी विशिष्ट प्रावधानों में निर्दिष्ट किया गया है, इसमें शामिल होगा किया गया व्यय या होने वाला अनुमानित व्यय, प्रारम्भिक पुर्जे, निर्माण के दौरान ब्याज (आई.डी.सी.) तथा वित्त–व्यवस्था के लिए शुल्क, निर्माण के दौरान आनुषंगिक व्यय (आई.ई.डी.), व्यावसायिक संचालन या संस्थापना की तिथि तक, विदेशी विनिमय में होने वाले विचलनों के कारण होने वाली किसी प्राप्ति या हानि के चलते ऋण की स्थिति नीचे दिए गए उपनियम (2) में दी गई परिस्थिति तक पहुँच गई हो। पूँजीगत लागत में अन्तर्संयोजन के बिन्दु तक स्विचयार्ड आदि पर किया गया व्यय या होने वाला अनुमानित व्यय भी शामिल होगा। पर इसमें अन्तर्संयोजन के बिन्दु से पारेषण या वितरण लाइसेन्सी के निकटतम उप–केन्द्र तक, जिससे उत्पादन केन्द्र जुड़ा है, विद्युत लाइन तथा सहायक उपकरणों की लागत शामिल नहीं होगी।

(b) व्यावसायिक संचालन की निर्धारित तिथि में होने वाली देरी से आई.डी.सी., वित्त सम्बन्धी शुल्क व आई.ई.डी.सी. पर अतिरिक्त लागत आने की स्थिति में उत्पादक कम्पनी को इस देरी के लिए विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ सहायक दस्तावेज भी जमा करने होंगे। इनमें देरी की अवधि का आई.डी.सी., वित्त सम्बन्धी शुल्क तथा आ.ई.डी.

सी. का विवरण तथा देरी के कारण होने वाली ऋण चुकता करने में होने वाली हानियों की देरी के समुतल्य क्षतिपूर्ति हो चुकी है या होनी है, यह भी बताना होगा।

शर्त यह है कि यदि देरी उत्पादक कम्पनी के कारण नहीं हुई है तथा इसके लिए कारक जिम्मेदार हैं, जिन पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो उपयुक्त विवेकपूर्ण जाँच के बाद ऐसे व्यय स्वीकार किए जा सकते हैं।

शर्त यह भी है कि यदि देरी उत्पादक कम्पनी द्वारा नियुक्त की गई किसी एजेन्सी या ठेकेदार या आपूर्तिकर्ता के कारण हुई है तो पूँजीगत लागत की गणना के समय उस एजेन्सी या ठेकेदार या आपूर्तिकर्ता से वसूल की गई क्षतिपूर्ति को भी ध्यान में रखा जाएगा।

(c) यदि कोई एक उत्पादक कम्पनी अन्तर्संयोजन के बिन्दु से पारेषण या उस वितरण लाइसेन्सी के निकटतम उप केन्द्र तक, जिससे उत्पादक केन्द्र जुड़ा है, स्वयं अपने खर्च पर निष्क्रमण की संरचना का निर्माण करना चाहती है तो उसे अन्तर्संयोजन के बिन्दु पर निर्धारित की गई सामान्य दर के अतिरिक्त 5 पैसे/इकाई की मानकीकृत सम दर भी स्वीकृत की जाएगी। यद्यपि, सौर उत्पादन कम्पनी के मामले में अन्तर्संयोजन के बिन्दु पर निर्धारित की गई सामान्य दर के अतिरिक्त 12 पैसे/इकाई की मानकीकृत सम दर भी स्वीकृत की जाएगी।

निष्क्रमण की संरचना की यह मानकीकृत दर विभिन्न क्षमताओं के उत्पादन केन्द्रों के लिए 10 कि0मी0 की लम्बाई की मानकीकृत लाइन की लागत (इसमें अन्त में लगने वाले उपकरणों की लागत शामिल है) को ध्यान में रखकर तय की गई है। यह मानकीकृत दर निम्नवत् होगी:

(i) 3 मेगावॉट तक, 11 kVS/C - ₹ 44 लाख

(ii) 3 मेगावॉट से अधिक तथा 13 मेगावॉट तक, 33 kV S/C - ₹ 85 लाख

(iii) 13 मेगावॉट से अधिक तथा 25 मेगावॉट तक, 33 kV 2x S/C या DC - ₹ 170 लाख

शर्त यह है कि यदि एक से अधिक उत्पादन केन्द्र, अपने स्वयं के खर्च पर, मिल–जुलकर अपनी विद्युत की निकासी के लिए इन विनियमों के नियम 41 के अनुसार एक मिली–जुली निष्क्रमण संरचना के साथ–साथ पूलिंग स्विचिंग केन्द्र का निर्माण करते हैं तो ऊपर दी गई मानकीकृत सम दर उन सभी उत्पादन केन्द्रों के बीच उनकी स्थापित क्षमता के आधार पर बाँट दी जाएगी।

(d) वितरण लाइसेन्सी को, उत्पादक कम्पनी/कम्पनियों को अतिरिक्त टैरिफ का भुगतान (जैसा ऊपर बताया गया है) करना होगा, परन्तु यह तभी होगा, यदि ऐसी लाइनों का स्वामित्व उस कम्पनी/उन कम्पनियों के पास रहे। यद्यपि, वितरण लाइसेन्सी को पहला विकल्प यह दिया जाएगा कि या तो वे उत्पादक कम्पनी/कम्पनियों की निष्क्रमण संरचना को मूल्य–ह्रास की लागत (उक्त कम्पनी/कम्पनियों की नवीनतम परीक्षित लेखे में इंगित की गई लागत) पर खरीदें अथवा इन विनियमों के अनुसार अतिरिक्त टैरिफ का भुगतान करें।

शर्त यह है कि वितरण लाइसेन्सी को उत्पादन केन्द्र/केन्द्रों की संस्थापना की तिथि से एक वर्ष के अन्दर अपना विकल्प चुनना होगा।

(2) ऋण–इक्विटी अनुपात :

सामान्य व परियोजना विशिष्ट टैरिफ के लिए ऋण–इक्विटी अनुपात इस प्रकार होगा :

(a) सामान्य दर के लिए ऋण–इक्विटी अनुपात 70:30 का होगा।

(b) परियोजना विशिष्ट दर के लिए निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे :

यदि वास्तव में प्राप्त की गई इक्विटी पूँजीगत लागत के 30% से अधिक है, तो 30% से अधिक इक्विटी है, उसे मानकीकृत ऋण माना जाएगा।

शर्त यह है कि यदि इक्विटी पूँजीगत लागत के 30% से कम है तो वास्तविक इक्विटी पर ही टैरिफ का निर्धारण किया जाएगा।

शर्त यह भी है कि यदि इक्विटी का विदेशी मुद्रा में निवेश किया गया है तो प्रत्येक निवेश की तिथि को उस विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में मूल्य को आधार माना जाएगा।

(3) यह माना जाएगा कि एम.एन.आर.ई. से उपलब्ध अनुदान (नियम 24 के अन्तर्गत निर्दिष्ट सीमा तक) का ऋण के पूर्व–भुगतान के लिए उपयोग कर लिया गया है तथा शेष राशि को तथा 30% इक्विटी को दर के निर्धारण के लिए मान्य किया जाएगा।

शर्त यह भी है कि यह माना जाएगा कि इस पूर्व–भुगतान का मूल भुगतान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(4) प्रत्येक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के लिए अनुदान की राशि एम.एन.आर.ई. की लागू नीति के आधार पर ही तय होगी। यदि एम.एन.आर.ई. द्वारा अनुदान की राशि में बढ़ोत्तरी या कमी की जाती है तो आयोग द्वारा टैरिफ में, तदनुसार, आवश्यक सुधार कर लिया जाएगा, बशर्ते अनुदान की राशि में यह कमी उत्पादक कम्पनी की अक्षमतों के कारण न की गई हो।

16 ऋण–पूँजी पर ब्याज

(1) जो ऋण नियम (2) में इंगित किए गए तरीके से दिए गए हैं, वे ऋण पर ब्याज की गणना के लिए शुद्ध मानकीकृत ऋण माने जाएंगे। प्रत्येक वर्ष के 1 अप्रैल को मानकीकृत ऋण की अवशेष राशि का पता करने के लिए पिछले वर्ष के 31 मार्च तक की समेकित ऋण वापसी को सकल मानकीकृत ऋण की राशि में से कम किया जाएगा।

(2) सामान्य टैरिफ की गणना के लिए याचिका की तिथि से पिछले उपलब्ध 6 महीने के दौरान प्रचलन में रही स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की फण्ड की सीमान्त लागत पर आधारित ऋण दर (एम.सी.एल.आर.) (एक वर्ष का) का औसत + 300 आधार अंकों को मानकीकृत ब्याज दर माना जाएगा।

परियोजना विशिष्ट दर की गणना के लिए वित्तीय संस्थाओं को भुगतान किए जाने वाले वास्तविक ब्याज को ही ब्याज दर माना जाएगा अथवा याचिका की तिथि से पिछले उपलब्ध 6 महीने के दौरान प्रचलन में रही स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की फण्ड की सीमान्त लागत पर आधारित ऋण दर (एम.सी.एल.आर.) (एक वर्ष का) का औसत + 300 आधार अंकों को मानकीकृत ब्याज दर माना जाएगा।

(3) भले ही उत्पादक कम्पनी ने किसी प्रतिबन्धन अवधि का लाभ उठाया हो, ऋण की वापसी परियोजना के व्यावसायिक संचालन के पहले वर्ष से ही मानी जाती है, और यह स्वीकार्य वार्षिक मूल्य–ह्रास के बराबर होगी।

परियोजना विशिष्ट दर की गणना करते समय, बावजूद इसके कि उत्पादक कम्पनी ने प्रतिबन्धन अवधि का लाभ उठाया है, ऋण की वापसी परियोजना के व्यावसायिक संचालन के पहले वर्ष से मानी जाएगी, और यह स्वीकार्य वार्षिक मूल्य–ह्रास के बराबर या वास्तविक ऋण वापसी (जो भी अधिक हो) के बराबर होगी।

(4) ऋण वापसी की मानकीकृत अवधि 13 वर्ष मानी जाएगी।

17 मूल्य–ह्रास :

(1) टैरिफ के लिए, मूल्य–ह्रास की गणना इस प्रकार से की जाएगी:

(a) मूल्य–ह्रास के लिए मूल्य का आधार परियोजना की वह पूँजीगत लागत होगा, जो आयोग द्वारा नीचे दिए गए उप–नियम (2) के अनुसार स्वीकार किया गया है।

(b) सम्पत्ति का क्षति–रक्षण मूल्य 10% माना जाएगा, और मूल्य–ह्रास परिसम्पत्ति की पूँजीगत लागत का अधिकतम 90% स्वीकार किया जाएगा।

(c) दर–अवधि के पहले 13 वर्ष की मूल्य–ह्रास दर 5.38% प्रति वर्ष होगी तथा बाकी बचे हुए मूल्य–ह्रास को 14वें वर्ष में व उससे आगे के लिए, परियोजना के क्षति–रक्षण मूल्य को परियोजना लागत का 10% मानते हुए, परियोजना के बाकी बचे हुए उपयोगी जीवनकाल में विभाजित कर दिया जाएगा।

(d) मूल्य–ह्रास व्यावसायिक संचालन के पहले वर्ष से ही प्रभारणीय होगा।

(2) उत्पादनकर्ता को मिलने वाले 75% पूँजीगत अनुदान को मूल्य–ह्रास के उद्देश्य से पूँजीगत लागत में से कम कर दिया जाएगा।

18 इक्विटी पर लाभांश

(1) इक्विटी के लिए मूल्य का आधार वही होगा, जो नियम (2) के अन्तर्गत निर्धारित किया गया है।

(2) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए इक्विटी पर लाभांश (कर के बाद) 16% होगा।

(a) 1 अप्रैल, 2018 को औसत एम.ए.टी. दर पर कर–पूर्व इक्विटी का लाभांश पहले 10 वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष होगा।

(b) 1 अप्रैल, 2018 को औसत कॉरपोरेट कर की दर पर कर–पूर्व इक्विटी का लाभांश 11वें वर्ष में व उससे आगे 22% प्रतिवर्ष होगा।

19 वार्षिक स्थिर प्रभार

(1) पवन ऊर्जा परियोजनाओं, लघु जल परियोजनाओं, सौर पी.वी., नहर के किनारे व नहर के ऊपर सौर पी.वी., सौर ताप तथा ग्रिड इण्टरऐक्टिव रूफ टॉप और लघु सौर पी.वी. विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में कार्यशील पूँजी की आवश्यकता की गणना निम्नानुसार की जाएगी :

(a) एक महीने के लिए संचालन व रखरखाव का व्यय;

(b) विद्युत की बिक्री से प्राप्त होने वाला ऊर्जा का शुल्क, जो दो महीने की प्राप्तियों के बराबर होगा, और इसकी गणना मानकीकृत सी.यू.एफ. पर की जाएगी :

शर्त यह है कि परियोजना विशिष्ट दर के निर्धारण के लिए बिजली भी बिक्री की गणना सी.यू.एफ. के आधार पर की जाएगी, जैसा कि अनुमोदित डी.पी.आर. में उल्लेख किया गया है या मानकीकृत सी.यू.एफ. से की जाएगी, जो अध्याय 5 के अन्तर्गत उपयुक्त प्रौद्योगिकी के लिए निर्दिष्ट (जो भी अधिक हो) किया गया है।

(c) संचालन व रखरखाव के व्यय के 15% की दर से रखरखाव के स्पेयर।

(2) बायोमास विद्युत परियोजनाओं, नगरीय ठोस अपशिष्ट आधारित विद्युत परियोजनाओं, उच्छिष्ट से बनने वाले ईंधन पर आधारित तथा गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजनाओं के संदर्भ में कार्यशील पूँजी की आवश्यकता की गणना निम्नानुसार की जाएगी :

(a) मानकीकृत सी.यू.एफ. के बराबर चार महीने के लिए ईंधन की लागत;

(b) एक महीने के लिए संचालन व रखरखाव का व्यय;

(c) विद्युत की बिक्री से प्राप्त होने वाला नियत व परिवर्तनशील शुल्क, जो दो महीने की प्राप्तियों के बराबर होगा, और इसकी गणना मानकीकृत सी.यू.एफ. पर की जाएगी;

शर्त यह है कि परियोजना विशिष्ट दर के निर्धारण के लिए वही सी.यू.एफ. लिया जाएगा, जिसका उल्लेख अनुमोदित डी.पी.आर. में किया गया है या मानकीकृत सी.यू.एफ. लिया जाएगा, जो अध्याय 5 के अन्तर्गत उपयुक्त प्रौद्योगिकी के लिए निर्दिष्ट (जो भी अधिक हो) किया गया है।

(d) संचालन व रखरखाव के व्यय का 15% के दर से रखरखाव के स्पेयर।

(3) कार्यशील पूँजी पर ब्याज वही होगा, जो याचिका की तिथि से पिछले उपलब्ध 6 महीने के दौरान प्रचलन में रही स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की फण्ड की सीमान्त लागत पर आधारित ऋण दर (एम.सी.एल.आर.) (एक वर्ष का) का औसत है +350 आधार अंक।

20 संचालन व रखरखाव का व्यय

(1) संस्थापना के वर्ष के लिए संचालन व रखरखाव का व्यय मानकीकृत संचालन व रखरखाव के व्यय के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, जैसा अध्याय 5 के अन्तर्गत आयोग द्वारा विभिन्न प्रौद्योगिकियों के लिए नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018–19) के लिए निर्दिष्ट किया गया है। ये व्यय 5.72% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ेंगे, ताकि आगामी वर्षों के संचालन व रखरखाव के व्यय पूरे किए जा सकें।

(2) टैरिफ अवधि के विभिन्न वर्षों के संचालन व रखरखाव के व्यय के निर्धारण हेतु संस्थापना के वर्ष के लिए स्वीकृत संचालन व रखरखाव के मानकीकृत व्यय को 5.72% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ाया जाएगा।

21 सी.डी.एम. लाभ

(1) अनुमोदित सी.डी.एम. परियोजना से कार्बन क्रेडिट की प्राप्तियों को उत्पादक कम्पनी तथा सम्बन्धित लाभार्थियों के बीच इस तरह से बाँटा जाएगाः

(a) उत्पादन केन्द्र के व्यावसायिक संचालन की तिथि या संस्थापना की तिथि के बाद पहले वर्ष में सी.डी.एम. लाभ की सकल प्राप्तियों का 100% परियोजना विकसितकर्ता द्वारा रखा जाएगा।

(b) दूसरे वर्ष में, लाभार्थियों का हिस्सा 10% होगा, जो उत्तरोत्तर तब तक हर वर्ष 10% बढ़ेगा, जब तक कि वह 50% तक नहीं पहुँच जाता। इसके बाद, उत्पादक कम्पनी तथा लाभार्थी के बीच प्राप्तियों को बराबर अनुपात में बाँटा जाएगा।

(c) सी.डी.एम. लाभ को सम अथवा वार्षिक टैरिफ के निर्धारण के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा, तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की प्राप्तियों की सम्पूर्ण राशि उत्पादक कम्पनी द्वारा सीधे वितरण लाइसेन्सी को भेज दी जाएगी। यह राशि प्राप्त होने के एक महीने के अन्दर भेजनी होगी, तथा इसके साथ उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र भी भेजा जाएगा।

22 छूट

(1) बिलों का भुगतान यदि साख पत्र द्वारा किया जाता है (उसे प्रस्तुत करके) या यदि भुगतान 5 कार्य दिवसों में कर दिया जाता है, तो 2% की छूट दी जाएगी।

(2) यदि भुगतान साख पत्र के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से किया जाता है परन्तु उत्पादक कम्पनी द्वारा बिल प्रस्तुत करने के एक महीने के अन्दर कर दिया जाता है, तो 1% की छूट दी जाएगी।

23 विलम्बित भुगतान अधिभार

यदि बिलों का भुगतान बिल की तिथि से 60 दिन के अन्दर नहीं किया जाता है, तो उत्पादक कम्पनी द्वारा 1.25% प्रतिमाह (या उसके भाग) की दर से विलम्बित भुगतान अधिभार वसूल किया जाएगा।

24 केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा अनुदान या प्रोत्साहन

इन विनियमों के अन्तर्गत दर का निर्धारण करने के लिए आयोग केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों के लिए दिए गए किसी भी अनुदान या प्रोत्साहन पर, तथा साथ ही, त्वरित मूल्य–*ह्रास* लाभ (यदि उत्पादक कम्पनी द्वारा इसे प्राप्त किया गया है) पर विचार करेगा।

शर्त यह है कि एम.एन.आर.ई. की लागू योजना के अनुसार संस्थापना के वित्तीय वर्ष के लिए पूँजीगत अनुदान का केवल 75% ही टैरिफ निर्धारण के लिए लिया जाएगा।

शर्त यह है कि, दर के निर्धारण के उद्देश्य से, त्वरित मूल्य–*ह्रास* लाभ (यदि लिया गया हो) से सम्बन्धित आयकर लाभ सुनिश्चित करने के लिए निम्नालिखित सिद्धान्त ध्यान में रखे जाएँगे :

(a) लाभ का आकलन स्वीकार की गई पूँजीगत लागत, आयकर एक्ट के उपयुक्त प्रावधानों के अन्तर्गत त्वरित मूल्य–*ह्रास* दर तथा कॉरपोरेट आयकर दर के आधार पर होगा।

(b) राजकोषीय वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का पूँजीकरण। प्रति इकाई लाभ छूट के कारक के सम आधार पर निकाला जाएगा, जो पूँजी की कर के उपरान्त वेटेड औसत लागत के बराबर होगा,।

(c) यह माना जाएगा कि उत्पादक कम्पनी त्वरित मूल्य– *ह्रास* का लाभ लेगी, और वितरण लाइसेन्सी को इस बात का भरोसा दिलाने की जिम्मेदारी भी उत्पादक कम्पनी की होगी कि वह इस लाभ को पाने के हकदार नहीं है। इस उद्देश्य के लिए इस सम्बन्ध में ऑडिटर द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र ही पर्याप्त समझा जाएगा।

शर्त यह भी है जहाँ केन्द्र सरकार या राज्य सरकार ने किसी विशेष नवीकरणीय प्रौद्योगिकी के लिए कोई उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना अधिसूचित की है, वहाँ यह माना जाएगा कि उस प्रौद्योगिकी पर आधारित उत्पादन केन्द्रों ने उस योजना का लाभ उठा लिया है, तथा उनकी टैरिफ को स्वतः ही प्रति इकाई जी.बी.आई. की राशि से कम किया हुआ मान लिया जाएगा।

25 कर तथा शुल्क

इन विनियमों के अन्तर्गत टैरिफ निर्धारण में आय पर प्रत्यक्ष कर शामिल रहेगा, परन्तु सम्बन्धित सरकार द्वारा वसूले जाने वाले आय कर व शुल्क शामिल नहीं होंगे।

शर्त यह है कि सम्बन्धित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष करों के अतिरिक्त वसूले जाने वाले कर, शुल्क तथा उप कर वास्तविक भुगतान के आधार पर ही स्वीकार किए जाएँगे।

26 दर की उपयुक्तता

(1) दर की वसूली निम्नलिखित रीति से ही स्वीकार की जाएगी :

A. सामान्य दर का विकल्प देने वाले उत्पादकों के लिए:

(a) जब तक वास्तविक सी.यू.एफ. 40% के वार्षिक सी.यू.एफ. से कम है या उसके बराबर है, जब तक टैरिफ का भुगतान सम सामान्य दरों पर किया जाएगा, जैसा विनियमों में निर्दिष्ट है। ऐसा तब तक किया जाएगा, जब तक कि वह 40% के मानकीकृत सी.यू.एफ. तक नहीं पहुँच जाता।

(b) 40% के ऊपर के वार्षिक सी.यू.एफ. के उत्पादन के लिए निम्नलिखित तरीका लागू होगा :

(i) 40% से अधिक पर 45% से कम वार्षिक सी.यू.एफ. के उत्पादन के लिए टैरिफ ₹1.50/kWh होगा।

(ii) 45% से अधिक के वार्षिक सी.यू.एफ. के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन सम सामान्य दरों के बराबर होगा, जैसा कि विनियमों में 45% के सी.यू.एफ. के लिए निर्दिष्ट किया गया है, यानी 45% के सी.यू.एफ. में से ₹ 0.75 /kWh घटा दिया जाएगा। आगे के मासिक बिलों में ₹ 0.75/kWh तब तक घटाया जाता रहेगा, जब तक वास्तविक वार्षिक सी.यू.एफ. 55% तक नहीं पहुँच जाता।

(iii) 55% के वास्तविक वार्षिक सी.यू.एफ. से अधिक के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन सम सामान्य टैरिफ (विनियमों में 45% के सी.यू.एफ. पर निर्दिष्ट) के बराबर होगा।

B. परियोजना विशिष्ट टैरिफ का विकल्प देने वाले उत्पादकों को लागू सी.यू.एफ. (अर्थात् जो अनुमोदित डी.पी.आर. में उल्लिखित है या मानकीकृत सी.यू.एफ., जैसा अध्याय 5 के अन्तर्गत प्रासंगिक प्रौद्योगिकी के लिए निर्दिष्ट किया गया है, जो भी अधिक हो) से अधिक के उत्पादन के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजना विशिष्ट दर लेने की ही अनुमति दी जाएगी।

C. आयोग द्वारा पुनर्निर्माण कार्यों के लिए स्वीकार किए गए अतिरिक्त पूँजीकरण के लिए उत्पादन केन्द्र को, लागू सी.यू.एफ. से अधिक के उत्पादन के लिए, आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजना विशिष्ट टैरिफ लेने की ही अनुमति दी जाएगी।

वार्षिक सी.यू.एफ. की गणना विनियमों के नियम 3(1) (एच) में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के अनुसार की जाएगी।

27 नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के प्रमुखता क्रम की उपयुक्तता

चूँकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्रकृति की अनियमितता पर निर्भर हैं तथा कम क्षमता के हैं, इसलिए इन स्रोतों से राज्य के अन्दर वितरण लाइसेन्सी या स्थानीय ग्रामीण ग्रिड को की जाने वाली विद्युत आपूर्ति पर इनके निकास/क्रय से सम्बन्धित प्रमुखता–क्रम के सिद्धान्त लागू नहीं होंगे, अर्थात् वे ऐसे केन्द्र माने जाएँगे, जिनको चलाया ही जाना है।

अध्याय – 5

प्रौद्योगिकी विशिष्ट पैरामीटर

28 लघु जल विद्युत उत्पादन संयंत्र

उन लघु जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों के लिए, जो 01.04.2018 को संस्थापित हुए हैं या उसके बाद संस्थापित किए जाने हैं, सामान्य टैरिफ के निर्धारण के लिए प्रौद्योगिकी विशिष्ट पैरामीटर निम्नवत् होंगे:

परियोजना का परिमाण	पूँजीगत लागत	संस्थापना के वर्ष के लिए संचालन व रखरखाव के व्यय	क्षमता उपभोग कारक	सहायक उपभोग
	(₹ लाख/ मेगावॉट)	(₹ लाख/मेगावॉट)	(%)	(%)
5 मेगावॉट तक	1000	45.00	सामान्य टैरिफ - 40% परियोजना विशिष्ट - 45%	1%
5 मेगावॉट से अधिक व 15 मेगावॉट तक	950	40.38		
15 मेगावॉट से अधिक व 25 मेगावॉट तक	900	36.00		

* *वार्षिक नियत शुल्क की वसूली के लिए*

नोट: इस विनियम के उद्देश्य से मानकीकृत सी. यू. एफ. अन्तर्संयोजन के बिन्दु पर बाहर भेजी गई ऊर्जा पर आधारित होगा तथा टैरिफ के उद्देश्य से गृह राज्य को निःशुल्क दी जाने वाली विद्युत ऊर्जा नेट पर (यदि कोई है), जिसके लिए विकसितकर्ता ने प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सामान्य टैरिफ के निर्धारण केलिए, गृह राज्य की भागीदारी 16वें वर्ष व उससे आगे 18% मानी गई है।

29 रैनकाइन चक्र प्रौद्योगिकी पर आधारित बायोमास विद्युत परियोजनाएँ

(1) रेनकाइन चक्र प्रोद्योगिकी पर आधारित उन बायोमास विद्युत परियोजनाओं के लिए, जो 01.04.2018 को संस्थापित हुई हैं या उसके बाद संस्थापित की जानी हैं, सामान्य टैरिफ के निर्धारण के लिए प्रौद्योगिकी विशिष्ट पैरामीटर निम्नवत् होंगे:

(a) पूँजीगत लागत :–

रैनकाइन चक्र पर आधारित बायोमास परियोजनाएँ	परियोजना की संस्थापना के वर्ष के लिए पूँजीगत लागत (₹ लाख/मेगावॉट)
जल से शीतल होने वाले कण्डेन्सर वाली परियोजनाएँ [पुआल व जूलीफ्लोरा (पौधारोपण) आधारित परियोजनाओं के अतिरिक्त]	559.03
वायु से शीतल होने वाले कण्डेन्सर वाली परियोजनाएँ [पुआल व जूलीफ्लोरा (पौधारोपण) आधारित परियोजनाओं के अतिरिक्त]	600.44
जल से शीतल होने वाले कण्डेन्सर वाली पुआल व जूलीफ्लोरा (पौधारोपण) आधारित परियोजनाओं के लिए	610.80
वायु से शीतल होने वाले कण्डेन्सर वाली पुआल व जूलीफ्लोरा (पौधा रोपण) आधारित परियोजनाओं के लिए	652.20

(b) संचालन व रखरखाव के व्यय

नियंत्रण अवधि से पहले वर्ष के लिए संचालन व रखरखाव के मानकीकृत व्यय ₹ 42.29 लाख/मेगावॉट होंगे। संस्थापना के वर्ष के लिए स्वीकृत संचालन व रखरखाव के मानकीकृत व्यय आगे के वर्षों में 5.72% प्रति वर्ष की दर से बढ़ाये जाएँगे।

(c) केन्द्र की ऊष्मा दर

बायोमास विद्युत परियोजनाओं के लिए केन्द्र की ऊष्मा दर इस प्रकार होगीः

(i) सचल ग्रेट बॉयलरों के लिएः 4200 kCal/kWh

(ii) ए एफ बी सी बॉयलरों का प्रयोग करने वाली परियोजनाओं के लिएः 4125kcal/kwh

(d) क्षमता उपयोग फैक्टर

(1) दर के नियत शुल्क घटक के निर्धारण के लिए शुरुआती सी. यू. एफ. इस प्रकार होगाः

(i) स्थिरीकरण के दौरानः 60%

(ii) पहले वर्ष की शेष अवधि के लिए (स्थिरीकरण के बाद) : 70%

(iii) दूसरे वर्ष में व उससे आगेः 80%

(2) स्थिरीकरण की अवधि परियोजना की संस्थापना की तिथि से 6 महीने से अधिक की नहीं होगी।

(e) सहायक उपभोग

(1) जल से शीतल होने वाले कण्डेन्सर का प्रयोग करने वाली परियोजनाओं के लिएः

(i) संचालन के पहले वर्ष के दौरानः 11%

(ii) दूसरे वर्ष में व उससे आगेः 10%

(2) वायु से शीतल होने वाले कण्डेन्सर का प्रयोग करने वाली परियोजनाओं के लिएः

(i) संचालन के पहले वर्ष के दौरानः 13ः

(ii) दूसरे वर्ष में व उससे आगेः 12%

(f) जीवाश्म ईंधन का प्रयोग तथा जीवाश्म ईंधन के प्रयोग के लिए अनुश्रवण–तंत्रः

(1) जीवाश्म ईंधन के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शर्त यह है कि 31.03.2018 को गा उससे पहले संस्थापित की गई बायोमास विद्युत परियोजनाओं को संस्थापना की तिथि से टैरिफ की अवधि तक के लिए वार्षिक आधार पर 15% तक (ऊष्मीय मान के अनुसार) जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करने की अनुमति होगी।

(2) परियोजना का विकसितकर्ता मासिक ऊर्जा बिल के साथ प्रत्येक महीने के लिए चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट द्वारा विधिवत् प्रमाणित ईंधन के प्रयोग का मासिक विवरण तथा ईंधन की प्राप्ति का मासिक विवरण लाभार्थी को प्रस्तुत करेगा, जिसकी एक प्रति जीवाश्म तथा गैर जीवाश्म ईंधन के उपयोग के अनुश्रवण के लिए आयोग द्वारा नियुक्त उपयुक्त एजेन्सी को भेजी जाएगी।

(3) यदि परियोजना विकसितकर्ता किसी वित्तीय वर्ष में जीवाश्म ईंधन के प्रयोग की शर्तों का अनुपालन नहीं करता है तो इन विनियमों के अनुसार ऐसी बायोमास ऊर्जा आधारित परियोजना की प्रयोज्यता टैरिफ वापस ले ली जाएगी। यद्यपि वह दोषी बायोमास ऊर्जा परियोजना वितरण लाइसेन्सी को विद्युत की बिक्री जारी रखेगा, परन्तु उसके दोषी पाये जाने वाले वित्तीय वर्ष की अवधि में विद्युत की दर आयोग द्वारा निर्दिष्ट लागू परिवर्तनशील टैरिफ से ₹ 1/kWh कम होगी।

(g) ऊष्मीय मान

टैरिफ के निर्धारण के उद्देश्य से, प्रयोग किए गए बायोमास ईंधन का ऊष्मीय मान 3100 kCal/किलोग्राम होगा।

(h) ईंधन की लागत

जब तक आयोग द्वारा विशेष रूप से पुनरीक्षित न की जाये तब तक नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018–19) के लिए बायोमास ईंधन की लागत ₹2355/एम टी मानी जायेगी। टैरिफ की अवधि के आगे के हर वर्ष में ईंधन की लागत निर्धारित करने के लिए टैरिफ अवधि के प्रत्येक बाद के वर्ष के लिए पिछले वर्ष की ईंधन की लागत में 5% का मानकीकृत वृद्धि फैक्टर जोड़ कर लागू किया जायेगा।

30 गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजनाएँ

(1) कोई परियोजना गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजना के लिए तभी अर्ह होगी, यदि वह विनियम 4(2)(ई) के अन्तर्गत निर्दिष्ट पात्रता के विवरण के अनुसार हो।

(2) 01.04.2018 को संस्थापित या उसके बाद संस्थापित की जाने वाली गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजनाओं के लिए सामान्य टैरिफ के निर्धारण के लिए प्रौद्योगिकी विशिष्ट पैरामीटर इस प्रकार होंगे:

पूँजीगत लागत	संस्थापना के वर्ष के लिए संचालन व रखरखाव के व्यय	केन्द्र की ऊष्मा दर	ईंधन का ऊष्मीय मान	सहायक उपभोग	क्षमता उपभोग फैक्टर
(₹लाख / मेगावॉट)	(₹लाख / मेगावॉट)	(kCal / kWh)	(kCal/kg)		
492.50	22.35	3600	2250	8.5%	45%

(3) जब तक आयोग द्वारा विशेष रूप से पुनरीक्षित न की जाये, तब तक नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018–19) के लिए ईंधन की लागत (पी) ₹1954 / एम टी मानी जायेगी। टैरिफ की अवधि के विभिन्न वर्षों में ईंधन की लागत निर्धारित करने के लिए टैरिफ अवधि के प्रत्येक बाद के वर्ष के लिए पिछले वर्ष की ईंधन की लागत में 5% का मानकीकृत वृद्धि फैक्टर जोड़ कर लागू किया जायेगा।

(4) सह–उत्पादन परियोजनाओं में बायोमास (बगैस के अतिरिक्त) के प्रयोग के लिए विनियम 29 (1) (एच) के अन्तर्गत दिए गए बायोमास के मूल्य लागू होंगे।

31 बायोमास गैसीफायर विद्युत परियोजनाएँ

(1) 01.04.2018 को संस्थापित किए गए या उसके बाद संस्थापित की जाने वाली बायोमास गैसीफायर विद्युत परियोजनाओं के लिए सामान्य टैरिफ के निर्धारण के लिए प्रौद्योगिकी विशिष्ट पैरामीटर इस प्रकार होंगे:

परियोजना का प्रकार	पूँजीगत लागत (₹लाख / मेगावॉट)	संस्थापना के वर्ष के लिए संचालन व रखरखाव के व्यय (₹लाख / मेगावॉट)	विशिष्ट ईंधन उपभोग कि0ग्रा0/kWh	सहायक उपभोग	क्षमता उपभोग फैक्टर
चीड़ की पत्तियों पर आधारित बायोमास गैसीफायर परियोजनाएँ	625.00	100.00	1.50	10%	85%
अन्य बायोमास गैसीफायर परियोजनाएँ	592.88	55.85	1.25		

(2) जब तक आयोग द्वारा विशेष रूप से पुनरीक्षित न की जाए, तब तक नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018–19) के लिए सभी तरह की बायोमास गैसीफायर आधारित परियोजनाओं के लिए ईंधन का मूल्य (पी) ₹2355 / एम टी माना जायेगा। टैरिफ की अवधि के विभिन्न वर्षों में ईंधन की लागत निर्धारित करने के लिए पिछले वर्ष की ईंधन की लागत में 5% का मानकीकृत वृद्धि फैक्टर जोड़ कर लागू किया जायेगा।

(3) ईंधन का मिश्रण

(a) बायोमास गैसीफायर आधारित विद्युत संयंत्र इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि इसमें बायोमास विद्युत परियोजना के आस—पास ही उपलब्ध होने वाले विभिन्न प्रकार के गैर जीवाश्म ईंधन, जैसे— फसलों के अवशेष, कृषि से जुड़े उद्योगों के अवशिष्ट, वनों से मिलने वाले अवशिष्ट आदि, तथा एम.एन.आर.ई. द्वारा अनुमोदित अन्य बायोमास ईंधनों का प्रयोग हो।

(b) बायोमास गैसीफायर आधारित विद्युत उत्पादन कंपनियाँ ईंधन प्रबन्धन योजना सुनिश्चित करेंगी, ताकि परियोजना से सम्बन्धित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

32 बायोमास आधारित विद्युत परियोजनाएँ

(1) नीचे दिये गये टैरिफ निर्धारण के मानक, ग्रिड से जुड़ी हुई उन बायोगैस आधारित परियोजनाओं के लिए हैं, जो 100% बायोमास से चलने वाले इंजन के साथ—साथ कृषि के अवशेषों, गोबर व एम. एन.आर.ई. द्वारा अनुमोदित अन्य बायो अवशिष्ट का उपयोग करने वाली बायेगैस प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग करती हैं। 01.04.2018 को संस्थापित किए गए या उसके बाद संस्थापित होने वाली बायोगैस आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए सामान्य टैरिफ के निर्धारण के लिए प्रौद्योगिकी विशिष्ट पैरामीटर इस प्रकार होंगे:

पूँजीगत लागत	संस्थापना के वर्ष के लिए संचालन व रखरखाव के व्यय	विशिष्ट ईंधन उपभोग	सहायक उपभोग	क्षमता उपभोग फैक्टर
(₹लाख / मेगावॉट)	(₹लाख / मेगावॉट)	(कि0ग्रा0/kWh)		
1185	55.85	3.00	12%	90%

(2) जब तक आयोग द्वारा विशेष रूप से पुनरीक्षित न किया जाए, तब तक नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018—19) के लिए फीड स्टॉक मूल्य (पी) ₹1327 / एम टी (डाइजेस्टर से निकलने वाले पदार्थ से होने वाली किसी भी तरह की शुद्ध प्राप्ति) माना जायेगा। टैरिफ की अवधि के विभिन्न वर्षों में ईंधन की लागत निर्धारित करने के लिए पिछले वर्ष की ईंधन की लागत में 5% का मानकीकृत वृद्धि फैक्टर जोड़ कर लागू किया जायेगा।

33 सौर पी.वी. विद्युत परियोजना

इन विनियमों के अन्तर्गत दिए गए सौर फोटोवोल्टाइक (पी.वी.) विद्युत परियोजनाओं के मानक ग्रिड से जुड़े उन पी.वी. सिस्टम पर लागू होंगे, जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में परिवर्तित करते हैं तथा एम. एन.आर.ई. द्वारा अनुमोदित क्रिस्टलाइन सिलिकॉन या थिन फिल्म आदि प्रौद्योगिकियों पर आधारित हैं।

दिनांक 01.04.2018 को संस्थापित की गई या उसके बाद संस्थापित की जाने वाली सौर पी.वी. विद्युत परियोजनाओं के सामान्य टैरिफ के निर्धारण के लिए प्रौद्योगिकी विशिष्ट पैरामीटर इस प्रकार होंगे:

पूँजीगत लागत	संस्थापना के वर्ष के लिए संचालन व रखरखाव के व्यय	क्षमता उपभोग फैक्टर
(₹लाख / मेगावॉट)	(₹लाख / मेगावॉट)	
388.19	12.30	19 %

34 नहरों के किनारे लगने वाले सौर पी वी विद्युत संयंत्र तथा नहरों के ऊपर लगने वाले सौर पी वी विद्युत संयंत्र

इन विनियमों के अन्तर्गत दिए गए मानक नहरों के किनारे लगने वाले सौर पी.वी. संयंत्रों तथा नहरों के ऊपर लगने वाले सौर पी.वी. संयंत्रों के ग्रिड से जुड़े उन पी.वी. सिस्टम पर लागू होंगे, जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलते हैं और 01.04.2018 को संस्थापित की गई या उसके बाद संस्थापित की जाने वाली इस तरह की विद्युत परियोजनाओं के सामान्य टैरिफ के निर्धारण के लिए प्रौद्योगिकी विशिष्ट पैरामीटर इस प्रकार होंगे:

सौर पी.वी. संयंत्र का प्रकार	पूँजीगत लागत	संस्थापना के वर्ष के लिए संचालन व रखरखाव के व्यय	क्षमता उपभोग फैक्टर
	(₹लाख / मेगावॉट)	(₹लाख / मेगावॉट)	
नहर के किनारे लगने वाले सौर पी वी संयंत्र	600.00	12.30	19%
नहर के ऊपर लगने वाले सौर पी वी संयंत्र	625.00		

35 सौर ताप विद्युत परियोजना

इन विनियमों के अन्तर्गत दिए गए सौर ताप विद्युत के मानक एम.एन.आर.ई. द्वारा अनुमोदित उन घनीभूत सौर विद्युत (सी.एस.पी.) प्रौद्योगिकियों (अर्थात् लाइन केन्द्रित या प्वाइण्ट केन्द्रित) पर लागू होंगे, जो सीधे सूर्य की रोशनी का प्रयोग इसे कई बार घनीभूत करके ऊर्जा के उच्चतर स्तर, और इस तरह, उच्चतर तापमान, पर पहुँचाने के लिए करते हैं, जिससे बनने वाली ऊष्मा का प्रयोग विद्युत बनाने के लिए परम्परागत विद्युत चक्र को चलाने के लिए किया जाता है। दिनांक 01.04.2018 को संस्थापित की गई या उसके बाद संस्थापित की जाने वाली सौर ताप विद्युत परियोजनाओं के सामान्य टैरिफ के निर्धारण के लिए प्रौद्योगिकी विशिष्ट पैरामीटर इस प्रकार होंगे:

पूँजीगत लागत	संस्थापना के वर्ष के लिए संचालन व रखरखाव के व्यय	क्षमता उपभोग फैक्टर	सहायक उपभोग
(₹लाख / मेगावॉट)	(₹लाख / मेगावॉट)		
1200	16.77	23%	10%

36 ग्रिड इण्टरऐक्टिव रूफ टॉप व लघु सौर पी.वी. संयंत्र

(1) दिनांक 01.04.2018 को संस्थापित किए गए या उसके बाद संस्थापित किए जाने वाले ग्रिड इण्टरऐक्टिव रूफ टॉप व लघु सौर पी.वी. संयंत्रों के सामान्य टैरिफ के निर्धारण के लिए प्रौद्योगिकी विशिष्ट पैरामीटर इस प्रकार हैः

परियोजना का परिमाण	पूँजीगत लागत (₹ /किलोवॉट)	संस्थापना के वर्ष के लिए संचालन व रखरखाव के व्यय (₹/किलोवॉट)	क्षमता उपभोग फैक्टर
10 किलोवॉट तक	47153	1627	19 %
10 किलोवॉट से अधिक व 100 किलोवॉट तक	43224	1448	
100 किलोवॉट से अधिक व 500 किलोवॉट तक	40612	1320	
500 किलोवॉट से अधिक व 1 मेगावॉट तक	39135	1230	

(2) किसी लाइसेन्सी की वितरण–प्रणाली में विद्युत डालने के लिए किसी भी पात्र उपभोक्ता द्वारा ग्रिड इण्टरऐक्टिव रूफ टॉप व लघु सौर पी.वी. संयंत्र लगाए जा सकते हैं:

शर्त यह है कि किसी पात्र उपभोक्ता के परिसर में स्थापित रूफ टॉप सौर पी.वी. व लघु सौर पी.वी. संयंत्रों की अधिकतम स्थापित क्षमता उपभोक्ता को स्वीकृत भार (लोड)/अनुबंधित माँग की अधिकतम 80% होगी।

शर्त यह भी है कि घरेलू उपभोक्ता के मामले में रूफ टॉप व लघु सौर पी.वी. संयंत्रों की इस स्थापित क्षमता में स्वेकृत भार/अनुबन्धित माँग को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

शर्त यह है कि पात्र उपभोक्ता के परिसर में लगने वाले रूफ टॉप पी.वी. सौर विद्युत संयंत्र व लघु सौर पी वी संयंत्र की अधिकतम स्थापित क्षमता 1 मेगावॉट से अधिक नहीं होगी।

(3) पात्र उपभोक्ता या तृतीय पक्ष के स्वामित्व वाले रूफ टॉप सौर पी.वी. संयंत्र से विद्युत को डालने का निर्णय प्रत्येक बिलिंग अवधि के अन्त में शुद्ध ऊर्जा के आधार पर किया जायेगा।

(4) आयोग के टैरिफ आदेशों के अनुसार, वितरण लाइसेन्सी द्वारा उपभोक्ता को आपूर्ति की जाने वाली विद्युत से सम्बन्धित टैरिफ लाइसेन्सी द्वारा एक बिलिंग अवधि में आपूर्ति की गई शुद्ध ऊर्जा के लिए लागू होगा, यदि लाइसेन्सी द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा उपभोक्ता या तृतीय पक्ष के रूफ टॉप सौर पी. वी. संयंत्र से डाली गई ऊर्जा से अधिक हो।

शर्त यह है कि ऐसे पात्र उपभोक्ता को न्यूनतम मासिक शुल्क/न्यूनतम उपभोग गारन्टी शुल्क, यदि कोई हो, के भुगतान में परिसर में स्थापित रूफ टॉप सौर पी.वी. संयंत्र की क्षमता के बराबर छूट मिलेगी।

शर्त यह भी है कि ऐसे पात्र उपभोक्ताओं पर विद्युत के नियंत्रित प्रयोग केलिए कोई निर्बाध पहुँच शुल्क या अधिभार भी नहीं लगाया जाएगा।

(5) यदि एक बिलिंग अवधि में लाइसेन्सी द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा उपभोक्ता या तृतीय पक्ष के रूफ टॉप सौर पी.वी संयंत्र से डाली गई ऊर्जा से कम है (ऊपर दिए गए उप विनियम (3) के प्रावधानों के अनुसार) तो लाइसेन्सी से, उसे आपूर्ति की गई इस शुद्ध ऊर्जा के लिए, सामान्य टैरिफ का, जैसा आयोग द्वारा निर्दिष्ट है, या टैरिफ आधारित बोली प्रक्रिया से प्राप्त दर (जो भी कम हो) पर बिल लिया जायेगा।

37 पवन ऊर्जा परियोजना

(1) दिनांक 01.04.2018 को संस्थापित किए गए या उसके बाद संस्थापित होने वाली पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सामान्य टैरिफ के निर्धारण के लिए प्रौद्योगिकी विशिष्ट पैरामीटर इस प्रकार होंगे:

पूँजीगत लागत (₹लाख / मेगावॉट)	संचालन व रखरखाव के व्यय (₹लाख / मेगावॉट)	पवन ऊर्जा घनत्व का वार्षिक औसत (W/m^2)	क्षमता उपभोग फैक्टर
515	9.51	220 तक	22%
		221-275	24%
		276-330	28%
		331-440	33%
		440 से अधिक	35%

नोटः

(a) टैरिफ की प्रयोज्यता के लिए उत्पादक कम्पनी वार्षिक औसत पवन ऊर्जा घनत्व की विधिवत् प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराएगी। ऊपर बताया गया वार्षिक औसत पवन ऊर्जा घनत्व 100 मीटर की हब ऊँचाई पर मापा जाएगा।

(b) पवन ऊर्जा परियोजना को विशिष्ट पवन जोन श्रेणी में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से पवन के मापन के लिए नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की मार्गदर्शिका के अनुसार, या तो राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (एन.आई.डब्ल्यू.ई) द्वारा लगाये गए पवन मास्ट या एन.आई.डब्ल्यू.ई. द्वारा विधिवत् प्रमाणित किसी निजी विकसितकर्ता द्वारा लगाए गए पवन मास्टर से, सामान्य भूभाग के लिए सभी दिशाओं में सामान्यतः 10 किलोमीटर तक तथा जटिल भूभाग के लिए, निर्माण स्थल की जटिलता के अनुसार, उपयुक्त दूरी तक फैलाया जाता है। एन.आई.डब्ल्यू.ई. के इस प्रमाणीकरण के आधार पर राज्य नोंडल एजेन्सी को प्रस्तावित पवन फार्म कॉम्प्लेक्स की जोनिंग को प्रमाणित करना होगा।

38 नगरीय ठोस अपशिष्ट आधारित परियोजनाएँ

(1) टैरिफ के निर्धारण के लिए नीचे दिए गए मानक उन विद्युत परियोजनाओं के लिए हैं, जो नगरीय ठोस अपशिष्ट (एम.एस.डब्ल्यू.) तथा उच्छिष्ट से बनने वाले ईंधन (आर.डी.एफ.) का प्रयोग करती हैं और रैनकाइन चक्र प्रौद्योगिकी, ज्वलनशीलता तथा भस्मीकरण, जैव–मीथानेशन, पायरोलिसिस व हाई एण्ड गैसीफायर प्रोद्योगिकियों पर आधारित हैं। पूँजीगत लागत, संयंत्र भार फैक्टर, सहायक उपभोग आदि से सम्बन्धित मानक उन परियोजनाओं के लिए होंगे, जो 01.04.2018 को संस्थापित की गई हैं या उसके बाद संस्थापित की जाने वाली हैं, और ये इस प्रकार होंगे:

परियोजना	पूँजीगत लागत	संस्थापन के वर्ष के लिए संचालन व रखरखाव के व्यय	संयंत्र भार फैक्टर	सहायक उपभोग	केन्द्र की ऊष्मा दर	ऊष्मीय मान
	(₹लाख/मेगावॉट)	(₹लाख/मेगावॉट)			kcal/kWh	kcal/कि0ग्रा0
एम.एस. डब्ल्यू.	1500	6 पहले वर्ष में परियोजना लागत का 6% तथा प्रतिवर्ष 5.72% की दर से बढ़ेगा।	स्थिरीकरण के दौरान व पहले वर्ष में 65% दूसरे वर्ष में व उससे आगे 75%	15%	4200	-
आर.डी. एफ.	900	पहले वर्ष में परियोजना लागत का 6% तथा प्रतिवर्ष 5.72% की दर से बढ़ेगा।	स्थिरीकरण के दौरान व पहले वर्ष में 65% दूसरे वर्ष में व उससे आगे 80%	15%	4200	2500

<u>नोटः</u>

(a) नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रयोग करने वाली परियोजनाओं के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए ईंधन की लागत पर विचार नहीं किया जाएगा।

(b) जब तक आयोग द्वारा विशेष रूप से पुनरीक्षित नहीं किया जाता, तब तक, इन विनियमों की विज्ञप्ति के बाद के पहले वर्ष का आर.डी.एफ. ईंधन का मूल्य ₹1800/एम टी माना जाएगा। टैरिफ अवधि के विभिन्न वर्षों की ईंधन की लागत के निर्धारण के लिए टैरिफ अवधि के प्रत्येक बाद के वर्ष के लिए पिछले वर्ष के ईंधन की लागत पर 5% मानकीकृत वृद्धि फैक्टर लागू होगा।

39 सामान्य टैरिफ

ऊपर दी गई प्रौद्योगिकियों के लिए सामान्य टैरिफ अनुलग्नक–1 पर दिए गए हैं।

अध्याय – 6

विविध

40 पारेषण शुल्क, व्हीलिंग शुल्क तथा हानियाँ

(1) पारेषण शुल्कः प्रदेश के अन्दर नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन केन्द्रों तथा सह–उत्पादन केन्द्रों द्वारा उत्पादित विद्युत को बिना भेदभाव के निर्बाध रूप से उसका प्रयोग होने के स्थान पर पहुँचाने के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादक या उपभोक्ता, जैसी भी स्थिति हो, को प्रदेश के अन्दर पारेषण प्रणाली और वितरण प्रणाली का उपयोग करने के लिए पारेषण शुल्क व व्हीलिंग शुल्क देना होगा। इन शुल्कों की गणना यू.ई.आर.सी. (प्रदेश के अन्दर निर्बाध पहुँच के लिए नियम व शर्तें) विनियम, 2015 तथा समय–समय पर होने वाले संशोधनों के आधार पर की जाएगी।

शर्त यह भी है कि प्रदेश के अन्दर वितरण लाइसेन्सी या स्थानीय ग्रामीण ग्रिड को विद्युत की बिक्री के लिए पारेषण तथा व्हीलिंग शुल्क देय नहीं हैं।

शर्त यह भी है कि यदि कोई उत्पादक कम्पनी राज्य से बाहर विद्युत की आपूर्ति का प्रस्ताव करती है तो ऐसी उत्पादक कम्पनी को, ऊपर दिए गए पारेषण/व्हीलिंग शुल्क के अतिरिक्त, पारेषण/वितरण लाइसेन्सी द्वारा लगाई गई लाइनों व उप–केन्द्र (जिनका उपयोग केवल इस विद्युत के निष्क्रमण के लिए होता है) के लिए आयोग द्वारा अलग–अलग मामलों के आधार पर निर्धारित पारेषण/व्हीलिंग शुल्क भी वहन करना होगा।

शर्त यह भी है कि जहाँ एक से अधिक उत्पादक कम्पनियाँ अपनी विद्युत के निष्क्रमण के लिए पारेषण/वितरण लाइसेन्सी की पारेषण/वितरण प्रणाली के जरिये मिल–जुल कर राज्य से बाहर विद्युत की आपूर्ति करने का प्रस्ताव करती हैं तो इन उत्पादक कम्पनियों को, ऊपर दिये गए पारेषण/व्हीलिंग शुल्क के अतिरिक्त, आयोग द्वारा अलग–अलग मामलों के आधार पर निर्धारित पारेषण/वितरण लाइसेन्सी की केवल इस विद्युत के निष्क्रमण के लिए प्रयोग की जाने वाली लाइनों व उप–केन्द्रों का पूरा पारेषण/व्हीलिंग शुल्क भी स्थापित क्षमता के 'प्रो–डाटा' आधार वहन करना होगा।

(2) पारेषण तथा व्हीलिंग शुल्क के अतिरिक्त, राज्य के अन्दर विद्युत आपूर्ति की पारेषण/वितरण प्रणाली और लगाई गई लाइनों व उप–केन्द्रों से होने वाली हानियों को, यदि उपर्युक्त के अनुसार लागू होती हों, यू.ई.आर.सी. (राज्य के अन्दर निर्बाध पहुँच के नियम व शर्तें) विनियम, 2015 (समय–समय पर किए गए संशोधनों के साथ) के सिद्धान्तों के आधार पर समायोजित

किया जायेगा। पर यह समायोजन नकद के रूप में न होकर वस्तुओं/सामग्री आदि के रूप में होगा।

शर्त यह भी है कि राज्य के अन्दर वितरण लाइसेन्सधारककों को या स्थानीय ग्रामीण ग्रिड को विद्युत की बिकी के लिए किसी भी हानि को वस्तुओं/सामग्री आदि के रूप में समायोजित नहीं किया जाएगा।

41 विद्युत का निष्क्रमण

(1) वितरण लाइसेन्सधारक 25 मेगावॉट तक की क्षमता के नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन केन्द्रों को अपने निकटतम वितरण उप–केन्द्रों पर (अधिमानतः उस उत्पादन केन्द्र से 10 किलोमीटर के अन्दर) संयोजकता प्रदान करेंगे। फिर वे पारस्परिक रूप से उपयुक्त वोल्टेज स्तर पर संयोजकता उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो सकते हैं, पर यह सी.ई.ए. द्वारा निर्दिष्ट विद्युत लाइनों के निर्माण और ग्रिड से संयोजकता की तकनीकी सम्भावनाओं तथा तकनीकी मानकों पर निर्भर करेगा।

(2) पारेषण लाइसेन्सी 25 मेगावॉट से अधिक की स्थापित क्षमता वाले नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन केन्द्रों को निकटतम पारेषण उप–केन्द्र पर (अधिमानतः उस उत्पादन केन्द्र से 10 किलोमीटर के अन्दर) संयोजकता प्रदान करेगा। फिर वे पारस्परिक रूप से उपयुक्त वोल्टेज स्तर पर संयोजकता उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो सकते हैं, पर यह सी.ई.ए. द्वारा निर्दिष्ट विद्युत लाइनों के निर्माण और ग्रिड से संयोजकता की तकनीकी सम्भावनाओं तथा तकनीकी मानकों पर निर्भर करेगा।

शर्त यह है कि 25 मेगावॉट तक की क्षमता का कोई नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन केन्द्र यदि 132 kV तथा इससे ऊपर की पारेषण प्रणाली से संयोजित होने तथा उसके जरिये विद्युत के निष्क्रमण का इच्छुक है, तो वह ऐसा कर सकता है, यदि इसके लिए पारेषण लाइसेन्सी की स्वीकृति हो।

शर्त यह भी है कि जहाँ एक से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन केन्द्र, जिनकी मिली–जुली स्थापित क्षमता 25 मेगावॉट से अधिक है, और वे एक ही क्लस्टर/क्षेत्र में स्थित हैं, और निष्क्रमण के लिए ये उत्पादन केन्द्र अपने उत्पादन को मिल–जुल कर तैयार किये गए ऐसे पूलिंग स्विचिंग केन्द्र पर पूल करने के लिए सहमत होते हैं, जिसे वे अपने खर्चे पर बनाएँगे और इस पूलिंग स्विचिंग केन्द्र से आगे पारेषण लाइसेन्सी अपने निकटतम उप–केन्द्र पर संयोजकता उपलब्ध कराएगा। फिर पारस्परिक रूप से उपयुक्त वोल्टेज स्तर पर संयोजकता उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो सकते हैं, पर यह सी.ई.ए. द्वारा निर्दिष्ट विद्युत

लाइनों के निर्माण और ग्रिड से संयोजकता की तकनीकी संभावनाओं तथा तकनीकी मानकों पर निर्भर करेगा।

(3) यदि नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन–केन्द्र निष्क्रमण प्रणाली के साथ–साथ पारेषण/वितरण लाइसेन्सी के निकटतम उप–केन्द्र तक लाइन निर्माण के विकल्प का उपयोग करते हैं तो वांछित बे (bay), टर्मिनल उपकरण, उस समय की आवश्यकता के अनुसार सहायक उपकरण तथा पूलिंग स्विचिंग केन्द्र से ऊपर, यदि कोई हो, आदि, की निष्क्रमण प्रणाली की लागत इन उत्पादन केन्द्रों द्वारा वहन की जाएगी।

शर्त यह है कि ऐसे उत्पादन केन्द्रों को राज्य पारेषण/वितरण लाइसेन्सी द्वारा किया जाने वाला विद्युत निष्क्रमण प्रणाली के निर्माण का काम भी मिले।

शर्त यह भी है कि बे (bay) के विस्तार के लिए जमीन पारेषण या वितरण उप–केन्द्र, जो भी स्थिति हो, के स्वामी द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी।

42 पारेषण लाइनों तथा उपकरणों का रखरखाव

(1) उत्पादन वाले सिरे पर लगने वाले टर्मिनल उपकरणों तथा, इन उत्पादन केन्द्रों के स्वामित्व वाली पारेषण लाइनों के साथ–साथ पूलिंग स्विचिंग केन्द्र, यदि कोई हो, के रखरखाव के लिए उत्पादन केन्द्र उत्तरदायी होगा। यद्यपि, पारेषण/वितरण लाइसेन्सधारक, जैसी भी स्थिति हो, पारेषण लाइनों के साथ–साथ पूलिंग स्विचिंग केन्द्र, यदि कोई हो, का रखरखाव भी कर सकता है, यदि उत्पादन कम्पनी/कम्पनियों ने ऐसी इच्छा व्यक्त की हो। ऐसा आपसी सहमति से तय किए गए शुल्क पर किया जाएगा।

(2) सम्बन्धित लाइसेन्सी के उप–केन्द्र पर टर्मिनल उपकरण/उपकरणों के रखरखाव के लिए वितरण लाइसेन्सी या पारेषण लाइसेन्सी या राज्य पारेषण उपादेयता, जैसी भी स्थिति हो, उत्तरदायी होगा।

43 एस.एल.डी.सी. शुल्क

वितरण लाइसेन्सी या स्थानीय ग्रामीण ग्रिड के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को बिक्री किये जाने पर आई.ई.जी.सी. या राज्य ग्रिड कोड के उपयुक्ततम निर्धारण तथा निर्गमन के सिद्धान्त लागू होंगे, और इस उद्देश्य से नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन केन्द्रों को यू.ई.आर.सी. (राज्य के अन्दर निर्बाध पहुँच के नियम व शर्तें) विनियम, 2015 के अन्तर्गत निर्दिष्ट आवश्यक शुल्क एस.एल.डी.सी. को देना होगा।

44 ग्रिड इण्टरऐक्टिव रूफ टॉप तथा लघु सौर पी.वी. संयंत्रों के लिए संयोजकता व मीटरिंग के प्रबन्ध

(1) लाइसेन्सी की वितरण प्रणाली में ग्रिड इण्टरऐक्टिव रूफ टॉप तथा लघु सौर पी.वी. संयंत्रों को निम्नलिखित वोल्टेज स्तर पर संयोजकता की अनुमति दी जायेगी:

(i) 4 किलोवॉट तक का भार: कम वोल्टेज की एकल फेज आपूर्ति।

(ii) 4 किलोवॉट से अधिक व 75 किलोवॉट तक का भार: कम वोल्टेज की तीन फेज वाली आपूर्ति।

(iii) 75 किलोवॉट से अधिक व 1000 किलोवॉट तक का भार: 11 kV पर।

(2) यदि इन स्रोतों की ग्रिड से संयोजकता के सम्बन्ध में कोई विवाद पैदा होता है तो वह मामला आयोग को भेजा जायेगा, जिसका निर्णय इस सम्बन्ध में अन्तिम होगा।

(3) लाइसेन्सी के स्रोतों से उपभोक्ता (ओं) को तथा रूफ टॉप सौर पी.वी. संयंत्रों से लाइसेन्सी की वितरण प्रणाली को विद्युत की आपूर्ति या तो दो अलग–अलग मीटरों से मापी जाएगी, जिनकी रीडिंग का उपयोग प्रत्येक बिलिंग अवधि में शुद्ध आधार पर निपटारे के लिए किया जाएगा या बारी–बारी से आयात–निर्यात प्रकार के मीटर से मापी जाएगी, जो शुद्ध विनिमय को सीधे मापने के लिए उपयुक्त होता है।

(4) स्विच गियर, मीटर रीडिंग तथा जेनरेटर वाले छोर पर सुरक्षा के प्रबन्ध सौर जेनरेटरों के स्वामी द्वारा किए जाएँगे। यद्यपि, मुख्य मीटर जैसी ही विशिष्टताओं वाला जाँच मीटर वितरण लाइसेन्सी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

शर्त यह है कि जाँच मीटर तथा उससे सम्बन्धित उपकरण उस संयंत्र के स्वामी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि लाइसेन्सी द्वारा चेक मीटर की लागत संयंत्र के स्वामी को वापस की जाएगी। चेक मीटर की वापस की जाने वाली लागत निम्नलिखित से कम होगी:

(a) मीटर की वास्तविक लागत; या

(b) लाइसेन्सी की प्रतियोगितात्मक बोली प्रकिया के माध्यम से प्राप्त हुए अधिकतम मूल्य में 25% की वृद्धि।

(5) ग्रिड इण्टरऐक्टिव रूफ टॉप तथा लघु सौर पी.वी. संयंत्रों के वितरण लाइसेन्सी के ग्रिड से अन्तर्संयोजन के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से सम्बन्धित उपाय) विनियम, 2010 तथा जिसे समय–समय पर संशोधित किया गया है, लागू होगा।

(6) अन्तर्संयोजन के बिन्दु तक पूरी व्यवस्था के सुरक्षित संचालन, रखरखाव तथा खराबी को ठीक करने का दायित्व ग्रिड इण्टरऐक्टिव रूफ टॉप व लघु सौर पी.वी. संयंत्रों का होगा, तथा इस बिन्दु के बाद सुरक्षित संचालन, रखरखाव तथा व्यवस्था में किसी खराबी को ठीक करने (मीटर सहित) का दायित्व वितरण लाइसेन्सी का होगा।

(7) मानव/जानवर, जो भी हो, उसके साथ होने वाली किसी भी तरह की (घातक/अघातक/विभागीय/गैर विभागीय/लाइसेन्सी की सामग्री का नुकसान) घटना/दुर्घटना के लिए जो सौर संयंत्र से बैक फीडिंग के कारण हो सकती है, जब ग्रिड की आपूर्ति बन्द हो, के लिए पात्र उपभोक्ता पूरी तरह उत्तरदायी होगा। ऐसा उपभोक्ता न केवल लाइसेन्सी की सामग्री को हुए नुकसान की कीमत का भुगतान करेगा, वरन् इस घटना/दुर्घटना के कारण किसी मानव/जानवर के जीवन को हुई क्षति की क्षतिपूर्ति भी करेगा। वितरण लाइसेन्सी के पास यह अधिकार है कि वह इस तरह की अनिवार्यताओं की स्थिति में दुर्घटना को रोकने या मानव सामग्री का नुकसान बचाने के लिए किसी भी समय उपभोक्ता का संस्थापन विच्छेदित कर दे।

45 मीटरिंग का प्रबन्ध

(1) नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन केन्द्र अन्तर्संयोजन के बिन्दु पर सी.ई.ए. द्वारा निर्दिष्ट मीटरों की संस्थापना से सम्बन्धित विनियमों के अनुपालन में वितरण लाइसेन्सधारकों को या स्थानीय ग्रिड को बिक्री के लिए मीटर उपलब्ध कराएगा (जैसा विनियम 3 (1)(बी बी) में परिभाषित किया गया है।

(2) वितरण लाइसेन्सी या स्थानीय ग्रामीण ग्रिड के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को बिक्री करने की स्थिति में नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन केन्द्र, सी.ई.ए. द्वारा निर्दिष्ट मीटरों की संस्थापना से सम्बन्धित विनियमों के अनुपालन में, अन्तर्संयोजन के बिन्दु पर ए बी टी के अनुकूल विशेष ऊर्जा मीटर उपलब्ध कराएगा।

46 ऊर्जा की एकाउण्टिंग तथा बिलिंग

राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र जेनरेटरों द्वारा बाहर भेजी गई ऊर्जा की शेड्यूलिंग तथा एकाउण्टिंग करेगा और आई.ई.जी.सी., राज्य ग्रिड कोड तथा निर्बाध पहुँच विनियमों के कार्यान्वयन के लिए एस.एल.डी.सी. द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार ग्रिड से जुड़े विभिन्न पक्षों को इसकी सूचना दी जाएगी। निर्बाध पहुँच से सम्बन्धित लेन–देन की बिलिंग निर्बाध पहुँच विनियमों के अनुरूप की जाएगी।

शर्त यह है कि क्षेत्र के वितरण लाइसेन्सी को की गई बिक्री की स्थिति में ऊर्जा क्रय अनुबन्ध से संयुक्त मीटर रीडिंग की व्यवस्था की जा सकती है, और इन मामलों में ऊर्जा की एकाउण्टिंग और बिलिंग उत्पादन केन्द्र द्वारा सम्बन्धित वितरण लाइसेन्सी के साथ समन्वय करके की जाएगी।

47 उत्पादन केन्द्र द्वारा विद्युत का क्रय, साथ ही स्टार्टअप पावर

(1) कोई व्यक्ति, जो एक उत्पादन केन्द्र स्थापित करता है, उसका रखरखाव करता है और उसे संचालित करता है, और सामान्यतया पूरे वर्ष भर उसे लाइसेन्सी से विद्युत की जरूरत नहीं पड़ती, वह उत्पादन केन्द्र या वितरण लाइसेन्सी से विद्युत का क्रय कर सकता है, यदि उसका अपना संयंत्र उसकी अपनी जरूरत या स्टार्ट अप के लिए भी विद्युत का उत्पादन करने की स्थिति में नहीं है, और, परिणामस्वरूप उसे वितरण लाइसेन्सी से विद्युत लेनी पड़ती है।

शर्त यह है कि यदि संयंत्र से उत्पादित होने वाली विद्युत पूरी तरह से राज्य वितरण लाइसेन्सी को बेची जा रही है व उत्पादन केन्द्र द्वारा अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए या स्टार्ट अप पावर के लिए विद्युत (kWh में) राज्य वितरण लाइसेन्सी से प्राप्त की जा रही है तो इसे हर महीने के आधार पर वितरण लाइसेन्सी को बेची गई विद्युत में से समायोजित किया जाएगा। वितरण लाइसेन्सी, उत्पादक कम्पनी द्वारा उसे बेची गई शुद्ध ऊर्जा के लिए भुगतान करेगा, शुद्ध ऊर्जा अर्थात् उत्पादक कम्पनी द्वारा ग्रिड में डाली गई कुल ऊर्जा और उत्पादक कम्पनी द्वारा ग्रिड से ली गई ऊर्जा का अन्तर। यदि वितरण लाइसेन्सी द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा उत्पादक कम्पनी द्वारा ग्रिड में डाली गई ऊर्जा से अधिक हो तो उस शुद्ध ऊर्जा (kWh में) के लिए वितरण लाइसेन्सी द्वारा नीचे दिए दूसरे प्रतिबन्ध के अनुरूप बिल दिया जाएगा :

शर्त यह भी है कि संयंत्र से उत्पादित विद्युत वितरण लाइसेन्सी के अतिरिक्त किसी तीसरे पक्ष को बेची जाती है तो उत्पादक कम्पनी द्वारा वितरण लाइसेन्सी से क्रय की गई विद्युत का शुल्क आयोग द्वारा औद्योगिक उपभोक्ताओं को अस्थायी आपूर्ति के लिए निर्धारित किए गए टैरिफ, जो उपयुक्त 'टैरिफ की दरों की अनुसूची' के अन्तर्गत दी गई हैं, के अनुसार लिया जाएगा। इसके दौरान अधिकतम माँग को उस महीने के लिए अनुबन्धित माँग माना जाएगा। उस महीने के लिए नियत/माँग शुल्क का भुगतान उतने ही दिन के लिए किया जाएगा, जितने दिन आपूर्ति की गई है। यद्यपि ऐसी उत्पादक कम्पनी को न्यूनतम मासिक शुल्क या न्यूनतम मासिक उपभोक्ता गारण्टी शुल्क या किसी भी अन्य शुल्क से छूट दी जाएगी।

48 विद्युत की बैंकिंग (केवल नियंत्रित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित तथा गैर–ईंधन आधारित सह–उत्पादन केन्द्रों पर लागू)

(1) उत्पादन केन्द्र को एक कैलेण्डर महीने की अवधि के अन्तर्गत इस उद्देश्य से विद्युत जमा करने की अनुमति होगी कि वे उसमें से आपातकालीन स्थिति में या संयंत्र की बन्दी की स्थिति में या संयंत्र के रखरखाव के दौरान, उसमें से विद्युत की निकासी कर सकें। यह निम्नलिखित शर्तों के अनुसार होगाः

(a) ऊर्जा की 100% तक की बैंकिंग जैसा संयंत्र और वितरण लाइसेन्सी के बीच सहमति के आधार पर होगा, की अनुमति आयोग द्वारा अपने टैरिफ आदेशों में समय–समय पर घोषित किए गए पीक घण्टों के दौरान ही होगी।

(b) विद्युत की निकासी की अनुमति केवल आयोग द्वारा अपने टैरिफ आदेशों में समय–समय पर घोषित किए गए पीक घण्टों के अतिरिक्त की समयावधि के लिए ही होगी।

(c) संयंत्र ए.बी.टी. के अनुसार विशेष ऊर्जा मीटर (एस.ई.एम.) उपलब्ध कराएगा तथा ऊर्जा की बिक्री का मासिक निपटारा एस.ई.एम. की मीटर रीडिंग के अनुसार पीक घण्टों के दौरान की गई विद्युत की आपूर्ति के आधार पर किया जाएगा। इसे ही जमा की गई विद्युत माना जाएगा।

(d) राज्य में राज्य के अन्दर ए.बी.टी. के प्रारम्भ होने पर बैंकिंग तथा जमा की गई ऊर्जा की निकासी डे अहेड शेड्यूलिंग पर निर्भर होगी।

(e) संयंत्र द्वारा एस ई एम रीडिंग के आधार पर निकाली गई वह विद्युत, जिसे जमा की गई विद्युत में से निकासी नहीं माना जा सकता, उसे संयंत्र द्वारा क्रय की गई विद्युत माना जाएगा।

(f) इन संयंत्रों द्वारा धारा (ई) के अन्तर्गत क्रय की गई विद्युत या अन्यथा के लिए उपर्युक्त नियम 47 के प्रावधानों के अनुसार शुल्क लिया जाएगा।

(g) उत्पादन केन्द्र द्वारा किसी वित्तीय वर्ष के दौरान जमा की गई ऊर्जा को उसी वर्ष में ही निकालने की अनुमति होगी।

(h) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर जमा की गई विद्युत में से जो विद्युत वहीं बच जाती है, उसे बिक्री मान लिया जाएगा तथा वित्तीय निपटारा आयोग के टैरिफ आदेश के अनुसार उस वर्ष के लिए निर्धारित टैरिफ के आधार पर किया जाएगा, जिस वर्ष विद्युत जमा की गई थी या यदि गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन केन्द्र है

तो वित्तीय निपटारा आयोग द्वारा निर्दिष्ट सामान्य टैरिफ के आधार पर किया जाएगा। जमा की गई अनप्रयुक्त ऊर्जा पर कोई बैंकिंग शुल्क नहीं काटा जाएगा।

(i) बैंकिंग शुल्क जमा की गई ऊर्जा का 12.5% होगा।

(j) कोई गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन केन्द्र, जो नियंत्रित उत्पादन संयंत्र नहीं है, उसके लिए बैंकिंग की सुविधा तभी लागू होगी, यदि उसने राज्य के अन्दर वितरण लाइसेन्सी से विद्युत क्रय अनुबन्ध किया हो।

49 डीम्ड उत्पादन

(केवल लघु जल विद्युत उत्पादन संयंत्रों तथा सौर पी.वी. व सौर ताप परियोजनाओं पर ही लागू)

(1) परियोजना की सी.ओ.डी. के बाद, केन्द्र पर नीचे दिए गए कारणों से या उनमें से किसी एक कारण से उत्पादन की हानि, डीम्ड उत्पादन के अन्तर्गत मानी जाएगी :

– अन्तर्संयोजन के बिन्दु से आगे निष्क्रमण की प्रणाली का उपलब्ध न होना; तथा

– एस.एल.डी.सी. से पीछे हटने के निर्देश प्राप्त होने पर।

शर्त यह है कि निम्नलिखित को डीम्ड उत्पादन के रूप में नहीं गिना जाएगा :

(i) ऊपर दिए गए कारण (णों) से केन्द्र पर हुई उत्पादन–हानि, लेकिन वह अप्रत्याशित घटना (ओं) के कारण हुई हो;

(ii) केन्द्र पर उपर्युक्त कारणों से उस अवधि में व्यवधान/कटौतियों के चलते होने वाली उत्पादन हानियाँ, जिसमें ऐसी कटौतियों/व्यवधानों की कुल अवधि (उसके अतिरिक्त, जो उपर्युक्त के अन्तर्गत हटाया गया है), इस सीमा के अन्दर हो :

–लघु जल विद्युत परियोजनाओं के मामले में एक महीने में 48 घण्टे; तथा

–सौर पी वी तथा सौर ताप परियोजनाओं के मामले में एक वर्ष में 50 घण्टे।

शर्त यह है कि सौर पी.वी. तथा सौर ताप परियोजनाओं के लिए एक वर्ष में 50 घण्टे की अधिकतम सीमा की गणना के लिए शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे के बीच होने वाले व्यवधान/कटौतियाँ शामिल नहीं की जाएँगी।

शर्त यह भी है कि 01.04.2019 तक सौर पी.वी. तथा सौर ताप परियोजनाओं के लिए ऊपरी सीमा एक महीने में 60 घण्टे की रहेगी।

(2) घोषित वोल्टेज के सन्दर्भ में, वितरण लाइसेन्सी के लिए परियोजना के साथ अन्तर्संयोजन के बिन्दु पर वोल्टेज को नीचे दी गई तय सीमा के अन्दर बनाए रखना आवश्यक होगा :

—उच्च वोल्टेज के मामले में, +6% तथा —9%; और

—अतिरिक्त उच्च वोल्टेज के मामले में, +10% तथा —12.5%

ऊपर दी गई सीमाओं से अधिक के विचलनों के कारण होने वाली किसी भी उत्पादन—हानि को डीम्ड उत्पादन माना जाएगा, बशर्ते इस उत्पादन हानि के परिणामस्वरूप उत्पादन—क्षमता में 25% से अधिक की कमी आई हो।

(3) उपर्युक्त उप—विनियम 1 व 2 में निर्दिष्ट कारक (कों) के कारण हुए व्यवधान/कटौती की अवधि का मासिक आधार पर हिसाब रखा जाएगा तथा केन्द्र पर उत्पादन की हानि डीम्ड उत्पादन है या नहीं, इस सम्बन्ध में उपर्युक्त उप—विनियम (i) व (ii) के अन्तर्गत निर्दिष्ट घटनाओं का विवरण देखने के बाद निम्नलिखित के आधार पर आकलन किया जाएगा :

(i) उपर्युक्त खाते में वसूली तभी स्वीकार्य होगी, यदि वर्ष के दौरान उत्पादित वास्तविक ऊर्जा, लघु जल विद्युत परियोजनाओं तथा सौर पी.वी. व सौर ताप परियोजनाओं (यदि परियोजना ने सामान्य टैरिफ का विकल्प दिया है) के लिए बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट मानकीकृत सी.यू. एफ. से कम है या लघु जल विद्युत परियोजनाओं तथा सौर पी.वी. व सौर ताप परियोजनाओं के लिए नियत शुल्क की वसूली के लिए जिस सी.यू.एफ. पर विचार किया गया हो (यदि परियोजना विशिष्ट टैरिफ लागू है) यदि वर्ष के दौरान उत्पादित वास्तविक ऊर्जा तथा डीम्ड उत्पादन का योग उस सी.यू.एफ. से अधिक हो जाता है, जिस पर नियत शुल्क की वसूली के लिए विचार किया गया, तो डीम्ड उत्पादन के साथ—साथ उत्पादित वास्तविक ऊर्जा की भी अनुमति होगी, पर उसी सीमा तक, जहाँ तक सी.यू.एफ. पर विचार किया जा रहा है।

(ii) महीने के दौरान, उपर्युक्त उप—विनियम (1) के अनुरूप डीम्ड उत्पादन के तहत होने वाली उत्पादन हानि, यदि कोई है, पर प्रो राटा के आधार पर विचार किया जाएगा, जिसमें उस महीने के दौरान वास्तविक औसत उत्पादन पर आधारित हानि वाले घण्टों की संख्या में उस महीने में उपलब्ध कुल घण्टों की संख्या से भाग दिया जाएगा तथा सिस्टम में हुई कटौती/व्यवधान के घण्टों को घटा दिया जाएगा।

(iii) महीने के दौरान, उपर्युक्त उप—विनियम (2) के अनुरूप डीम्ड उत्पादन के तहत होने वाली उत्पादन हानि (MWh में) यदि कोई है, को मौजूदा निर्दिष्ट सीमा से अधिक के वोल्टेज के विचलन के घण्टों की संख्या तथा निर्दिष्ट सीमा से अधिक के वोल्टेज में विचलन के कारण हुई उत्पादन हानि (मेगावॉट में) का योग माना जाएगा। उत्पादन—हानि (मेगावॉट में) निम्नलिखित के बीच का अन्तर होगा :

(a) वोल्टेज में हुए विचलन से पहले उत्पादन का न्यूनतम (मेगावॉट में) तथा वोल्टेज में हुए इस विचलन को निर्दिष्ट सीमा के अन्दर पुनर्स्थापित करने के तत्काल बाद के 90 मिनट के उत्पादन (मेगावॉट में) को उस अवधि का 'वास्तविक उत्पादन' माना जाएगा, जिस अवधि में वोल्टेज में विचलन हुआ था; तथा

शर्त यह है कि यदि वोल्टेज में यह विचलन पूरे महीने तक रहता है तो वोल्टेज में हुए उस विचलन से पहले का उत्पादन (मेगावॉट में) 'वास्तविक उत्पादन' माना जाएगा।

(b) जब वोल्टेज में विचलन हुआ था, उस अवधि में प्राप्त उत्पादन।

(4) लघु जल परियोजनाओं तथा सौर ताप परियोजनाओं के लिए, वितरण लाइसेन्सी बिक्री–योग्य डीम्ड उत्पादन के लिए वार्षिक आधार पर भुगतान करेगा। भुगतान की गणना डीम्ड उत्पादन के आधार पर उपर्युक्त तरीके से की जाएगी। यह गणना सामान्य/परियोजना विशिष्ट टैरिफ के लिए की जाएगी, जैसा भी लागू नवीकरणीय ऊर्जा विनियमों के अनुरूप उपयुक्त हो। डीम्ड उत्पादन शुल्क के लिए किए जाने वाले भुगतान का निस्तारण वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 3 महीने के अन्दर कर दिया जाएगा।

शर्त यह है कि डीम्ड उत्पादन के लिए वितरण लाइसेन्सी द्वारा दिया गया कोई भी शुल्क टैरिफ के अन्तर्गत किया जाने वाला व्यय नहीं माना जाएगा। वितरण लाइसेन्सी को ये शुल्क देने ही होंगे।

शर्त यह भी है कि ऊपर दी गई डीम्ड उत्पादन की शर्तें केवल उन लघु जल परियोजनाओं तथा सौर पी.वी. व सौर ताप परियोजनाओं पर लागू होंगी, जिन्होंने वितरण लाइसेन्सी के साथ दीर्घावधि पी.पी.ए. पर हस्ताक्षर किए हैं।

शर्त यह भी है कि डीम्ड उत्पादन की शर्तें केवल उन लघु जल परियोजनाओं तथा सौर पी.वी. व सौर ताप परियोजनाओं पर लागू होंगी, जहाँ निष्क्रमण की लाइन 11kV के या उससे अधिक के वोल्टेज ग्रिड उप–केन्द्र से संयोजित है।

50 बचत

इन विनियमों में कोई भी नियम स्पष्ट रूप से या अन्तर्निहित रूप से ऐसा नहीं है, जो आयोग को एक्ट के अन्तर्गत, जिसमें कोई नियम न भी बना हो, वहाँ भी किसी भी मामले में निर्णय लेने या अपने अधिकार का प्रयोग करने से रोकता हो, तथा आयोग ऐसे मामलों को, अधिकारों व कार्यों को उस तरह से निपटा सकता है, जिसे वह न्यायपूर्ण व उपयुक्त मानता हो।

51 कठिनाइयों को दूर करने के लिए अधिकार

यदि इन विनियमों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई पैदा होती है तो, आयोग अपने प्रस्ताव से या अन्य तरह से, एक आदेश के द्वारा, तथा, जो इस आदेश से प्रभावित होने वाले हैं, उन्हें एक न्यायपूर्ण अवसर देने के उपरान्त, ऐसे प्रावधान बना सकता है, जो इन विनियमों के प्रतिकूल न हों तथा कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक हो :

52 छूट का अधिकार

आयोग इन विनियमों के किसी प्रावधान से अलग राय रख सकता है, पर इसके लिए कारण लिखित रूप में रखने होंगे। आयोग ऐसा स्वयं के प्रस्ताव से भी कर सकता है तथा किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा आयोग के सम्मुख प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र के आधार पर भी।

अनुलग्नक–1

1. 01.04.2018 को या उसके बाद संस्थापित 25 मेगावॉट तक के लघु जल संयंत्रों (एस.एच.पी.) के लिए नियत शुल्क की सम दर (₹/kWh में) :

विवरण	5 मेगावॉट तक	5 मेगावॉट से अधिक व 15 मेगावॉट तक	15 मेगावॉट से अधिक व 25 मेगावॉट तक
सकल टैरिफ (सी.यू.एफ. @40%)	6.33	6.08	5.70
सकल टैरिफ (सी.यू.एफ. @45%)	5.63	5.40	5.07

2. नगरीय ठोस अपशिष्ट (एम.एस.डब्ल्यू.) आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए नियत शुल्क की सम दर (₹/kWh में) :

विवरण	नियत शुल्क की दर (₹/kWh)
सकल टैरिफ	6.89
घटाएँ: त्वरित मूल्य–ह्रास लाभ	0.30
शुद्ध टैरिफ	6.59

3. उच्छिष्ट से बनने वाले ईंधन पर आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए नियत शुल्क तथा परिवर्तनीय शुल्क की सम दर (₹/kWh में) :

विवरण	नियत शुल्क की दर (₹/kWh)
सकल टैरिफ	4.44
घटाएँ: त्वरित मूल्य–ह्रास लाभ	0.17
शुद्ध टैरिफ	4.27

वर्ष	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
परिवर्तनीय शुल्क, जहाँ पहला वर्ष संस्थापना का वर्ष है (₹/kWh) :	3.56	3.74	3.92	4.12	4.32	4.54	4.77	5.01	5.26	5.52	5.80	6.08	6.39	6.71	7.04	7.40	7.77	8.15	8.56	8.99

4. गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजनाओं के लिए नियत शुल्क तथा परिवर्तनीय शुल्क की सम दर (₹/kWh में) :

विवरण	नियत शुल्क की दर (₹/kWh)
सकल टैरिफ	3.67
घटाएँ: त्वरित मूल्य–ह्रास लाभ	0.15
शुद्ध टैरिफ	3.52

वर्ष	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
परिवर्तनीय शुल्क, जहाँ पहला वर्ष संस्थापना का वर्ष है (₹/kWh) :	3.42	3.59	3.77	3.96	4.15	4.36	4.58	4.81	5.05	5.30	5.57	5.84	6.14	6.44	6.77	7.10	7.46	7.83	8.22	8.63

5. बायोमास गैसीफायर परियोजनाओं के लिए नियत शुल्क तथा परिवर्तनीय शुल्क की सम दर (₹/kWh में):

A. चीड़ की पत्तियों पर आधारित बायोमास गैसीफायर परियोजनाओं के लिए :

विवरण	नियत शुल्क की दर (₹/kWh)
सकल टैरिफ	4.27
घटाएँ: त्वरित मूल्य–ह्रास लाभ	0.11
शुद्ध टैरिफ	4.16

वर्ष	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
परिवर्तनीय शुल्क, जहाँ पहला वर्ष संस्थापना का वर्ष है (₹/kWh) :	3.27	3.43	3.61	3.79	3.98	4.17	4.38	4.60	4.83	5.07	5.33	5.59	5.87	6.17	6.48	6.80	7.14	7.50	7.87	8.27

B. अन्य बायोमास गैसीफायर परियोजनाओं के लिए :

विवरण	नियत शुल्क की दर (₹/kWh)
सकल टैरिफ	2.93
घटाएँ: त्वरित मूल्य–ह्रास लाभ	0.10
शुद्ध टैरिफ	2.82

वर्ष	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
परिवर्तनीय शुल्क, जहाँ पहला वर्ष संस्थापना का वर्ष है (₹/kWh) :	3.27	3.43	3.61	3.79	3.98	4.17	4.38	4.60	4.83	5.07	5.33	5.59	5.87	6.17	6.48	6.80	7.14	7.50	7.87	8.27

6. बायोगैस परियोजनाओं के लिए नियत शुल्क तथा परिवर्तनीय शुल्क की सम दर (₹/kWh में) :

विवरण	नियत शुल्क की दर (₹/kWh)
सकल टैरिफ	4.30
घटाएँ: त्वरित मूल्य–ह्रास लाभ	0.21
शुद्ध टैरिफ	4.09

वर्ष	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
परिवर्तनीय शुल्क, जहाँ पहला वर्ष संस्थापना का वर्ष है (₹/kWh) :	4.52	4.75	4.99	5.24	5.50	5.77	6.06	6.37	6.68	7.02	7.37	7.74	8.12	8.53	8.96	9.40	9.88	10.37	10.89	11.43

7. नहर के किनारे सौर पी वी तथा नहर के ऊपर सौर पी.वी. विद्युत परियोजनाओं के लिए नियत शुल्क की सम दर :

विवरण	नहर के किनारे सौर पी.वी. ऊर्जा संयंत्र	नहर के ऊपर सौर पी.वी. ऊर्जा संयंत्र
	(₹/kWh)	
सकल टैरिफ	6.69	6.92
घटाएँ: त्वरित मूल्य–ह्रास लाभ	0.39	0.41
शुद्ध टैरिफ	6.29	6.51

8. सौर पी.वी. तथा सौर ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए नियत शुल्क की सम दर :

विवरण	सौर पी.वी. परियोजनाएँ	सौर ताप परियोजनाएँ
	(₹/kWh)	
सकल टैरिफ	4.73	14.04
घटाएँ: त्वरित मूल्य–ह्रास लाभ	0.25	0.79
शुद्ध टैरिफ	4.48	13.26

9. ग्रिड इण्टर ऐक्टिव रूफ टॉप तथा लघु सौर पी.वी. विद्युत परियोजनाओं के लिए नियत शुल्क की सम दर :

A. 10 किलोवॉट तक की क्षमता वाली परियोजनाओं के लिए

अनुदान का स्तर	0%	30%	70%	90%
विवरण	नियत शुल्क की दर (₹/kWh)			
सकल टैरिफ	5.93	5.18	4.18	3.76
घटाएँ: त्वरित मूल्य–ह्रास लाभ	0.31	0.26	0.18	0.13
शुद्ध टैरिफ	5.62	4.92	4.00	3.63

B. 10 किलोवॉट से अधिक तथा 100 किलावॉट तक क्षमता वाली परियोजनाओं के लिए

अनुदान का स्तर	0%	30%	70%	90%
विवरण	नियत शुल्क की दर (₹/kWh)			
सकल टैरिफ	5.37	4.62	3.64	3.29
घटाएँ: त्वरित मूल्य–ह्रास लाभ	0.28	0.23	0.16	0.10
शुद्ध टैरिफ	5.09	4.39	3.48	3.19

C. 100 किलोवॉट से अधिक तथा 500 किलोवॉट तक की क्षमता वाली परियोजनाओं के लिए

अनुदान का स्तर	0%	30%	70%	90%
विवरण	नियत शुल्क की दर (₹/kWh)			
सकल टैरिफ	4.99	4.35	3.49	3.13
घटाएँ: त्वरित मूल्य–ह्रास लाभ	0.27	0.22	0.16	0.11
शुद्ध टैरिफ	4.72	4.12	3.33	3.01

D. 500 किलोवॉट से अधिक तथा 1 मेगावॉट तक की क्षमता वाली परियोजनाओं के लिए

अनुदान का स्तर	0%	30%	70%	90%
विवरण	नियत शुल्क की दर (₹/kWh)			
सकल टैरिफ	4.77	4.15	3.32	2.97
घटाएँ: त्वरित मूल्य–ह्रास लाभ	0.26	0.22	0.15	0.11
शुद्ध टैरिफ	4.51	3.93	3.17	2.86

10. पवन ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए नियत शुल्क की सम दर :

विवरण	नियत शुल्क की दर (₹/kWh)				
	जोन 1	जोन 2	जोन 3	जोन 4	जोन 5
सकल टैरिफ	4.85	4.44	3.81	3.23	3.05
घटाएँ: त्वरित मूल्य–ह्रास लाभ	0.47	0.43	0.37	0.31	0.29
शुद्ध टैरिफ	4.38	4.02	3.44	2.92	2.75

11. बायोमास रैनकाइन चक आधारित विद्युत परियोजना के लिए नियत शुल्क की सम दर (₹/kWh में) :

A. सचल ग्रेट बॉयलरों पर आधारित जल से शीतल होने वाले कण्डेन्सर वाली परियोजनाएँ [पुआल तथा जूलीफ्लोरा (पौधारोपण) आधारित परियोजनाओं के अतिरिक्त]

विवरण	नियत शुल्क की दर (₹/kWh)
सकल टैरिफ	3.05
घटाएँ: त्वरित मूल्य–ह्रास लाभ	0.10
शुद्ध टैरिफ	2.95

वर्ष	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
परिवर्तनीय शुल्क, जहाँ पहला वर्ष संस्थापना का वर्ष है (₹/kWh) :	3.58	3.76	3.95	4.15	4.36	4.58	4.80	5.04	5.30	5.56	5.84	6.13	6.44	6.76	7.10	7.45	7.83	8.22	8.63	9.06

B. ए.एफ.बी.सी. बॉयलरों पर आधारित जल से शीतल होने वाले कण्डेन्सर वाली परियोजनाएँ [पुआल तथा जूलीफ्लोरा (पौधारोपण) आधारित परियोजनाओं के अतिरिक्त]

विवरण	नियत शुल्क की दर (₹/kWh)
सकल टैरिफ	3.04
घटाएँ: त्वरित मूल्य—ह्रास लाभ	0.10
शुद्ध टैरिफ	2.94

वर्ष	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
परिवर्तनीय शुल्क, जहाँ पहला वर्ष संस्थापना का वर्ष है (₹/kWh) :	3.52	3.70	3.88	4.08	4.28	4.49	4.72	4.95	5.20	5.46	5.74	6.02	6.32	6.64	6.97	7.32	7.69	8.07	8.47	8.90

C. सचल ग्रेट बॉयलरों पर आधारित वायु से शीतल होने वाले कण्डेन्सर वाली परियोजनाएं [पुआल तथा जूलीफ्लोरा (पौधारोपण) आधारित परियोजनाओं के अतिरिक्त]

विवरण	नियत शुल्क की दर (₹/kWh)
सकल टैरिफ	3.23
घटाएँ: त्वरित मूल्य—ह्रास लाभ	0.11
शुद्ध टैरिफ	3.12

वर्ष	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
परिवर्तनीय शुल्क, जहाँ पहला वर्ष संस्थापना का वर्ष है (₹/kWh) :	3.67	3.85	4.04	4.25	4.46	4.68	4.91	5.16	5.42	5.69	5.97	6.27	6.59	6.92	7.26	7.62	8.01	8.41	8.83	9.27

D. ए.एफ.बी.सी. बॉयलरों पर आधारित वायु से शीतल होने वाले कण्डेन्सर वाली परियोजनाएं [पुआल तथा जूलीफ्लोरा (पौधारोपण) आधारित परियोजनाओं के अतिरिक्त]

विवरण	नियत शुल्क की दर (₹/kWh)
सकल टैरिफ	3.23
घटाएँ: त्वरित मूल्य—ह्रास लाभ	0.11
शुद्ध टैरिफ	3.11

वर्ष	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
परिवर्तनीय शुल्क, जहाँ पहला वर्ष संस्थापना का वर्ष है (₹/kWh) :	3.60	3.78	3.97	4.17	4.38	4.60	4.83	5.07	5.32	5.59	5.87	6.16	6.47	6.79	7.13	7.49	7.86	8.26	8.67	9.10

E. सचल ग्रेट बॉयलरों पर आधारित जल से शीतल होने वाले कण्डेन्सर वाली पुआल तथा जूलीफ्लोरा (पौधारोपण) आधारित परियोजनाओं के लिए

विवरण	नियत शुल्क की दर (₹/kWh)
सकल टैरिफ	3.19
घटाएँ: त्वरित मूल्य—ह्रास लाभ	0.11
शुद्ध टैरिफ	3.08

वर्ष	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
परिवर्तनीय शुल्क, जहाँ पहला वर्ष संस्थापना का वर्ष है (₹/kWh) :	3.58	3.76	3.95	4.15	4.36	4.58	4.80	5.04	5.30	5.56	5.84	6.13	6.44	6.76	7.10	7.45	7.83	8.22	8.63	9.06

F. ए.एफ.बी.सी. बॉयलरों पर आधारित जल से शीतल होने वाले कण्डेन्सर वाली पुआल तथा जूलीफ्लोरा (पौधारोपण) आधारित परियोजनाओं के लिए

विवरण	नियत शुल्क की दर (₹/kWh)
सकल टैरिफ	3.18
घटाएँ: त्वरित मूल्य—ह्रास लाभ	0.11
शुद्ध टैरिफ	3.07

वर्ष	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
परिवर्तनीय शुल्क, जहाँ पहला वर्ष संस्थापना का वर्ष है (₹/kWh) :	3.52	3.70	3.88	4.08	4.28	4.49	4.72	4.95	5.20	5.46	5.74	6.02	6.32	6.64	6.97	7.32	7.69	8.07	8.47	8.90

G. सचल ग्रेट बॉयलारों पर आधारित वायु से शीतल होने वाले कण्डेन्सर वाली पुआल तथा जूलीफ्लोरा (पौधारोपण) आधारित परियोजनाओं के लिए

विवरण	नियत शुल्क की दर (₹/kWh)
सकल टैरिफ	3.38
घटाएँ: त्वरित मूल्य—ह्रास लाभ	0.12
शुद्ध टैरिफ	3.25

वर्ष	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
परिवर्तनीय शुल्क, जहाँ पहला वर्ष संस्थापना का वर्ष है (₹/kWh) :	3.67	3.85	4.04	4.25	4.46	4.68	4.91	5.16	5.42	5.69	5.97	6.27	6.59	6.92	7.26	7.62	8.01	8.41	8.83	9.27

H. ए.एफ.बी.सी. बॉयलरों पर आधारित जल से शीतल होने वाले कण्डेन्सर वाली पुआल तथा जूलीफ्लोरा (पौधारोपण) आधारित परियोजनाओं के लिए

विवरण	नियत शुल्क की दर (₹/kWh)
सकल टैरिफ	3.37
घटाएँ: त्वरित मूल्य—ह्रास लाभ	0.12
शुद्ध टैरिफ	3.25

वर्ष	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
परिवर्तनीय शुल्क, जहाँ पहला वर्ष संस्थापना का वर्ष है (₹/kWh) :	3.60	3.78	3.97	4.17	4.38	4.60	4.83	5.07	5.32	5.59	5.87	6.16	6.47	6.79	7.13	7.49	7.86	8.26	8.67	9.10

प्रपत्र—1.1: (पवन ऊर्जा या लघु जल परियोजना या सौर पी.वी./ताप) के लिए प्रपत्र नमूना

क.सं.	अनुमानित मद	उप—मद	उप—मद (2)	इकाई	मूल्य
1	ऊर्जा—उत्पादन	क्षमता	संस्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता उपयोग कारक व्यावसायिक संचालन की तिथि उपयोगी जीवनकाल	मेगावॉट % माह/वर्ष वर्ष	
2	परियोजना लागत	पूँजीगत लागत/मेगावॉट	मानक पूँजीगत लागत पूँजीगत लागत पूँजीगत अनुदान, यदि कोई है शुद्ध पूँजीगत लागत	लाख रुपये /मेगावॉट लाख रुपये लाख रुपये लाख रुपये	
3	वित्तीय अनुमान	<u>ऋण : इक्विटी</u>	दर की अवधि ऋण इक्विटी ऋण की कुल धनराशि इक्विटी की कुल धनराशि	वर्ष % % लाख रुपये लाख रुपये	
		<u>ऋण के घटक</u>	ऋण की धन राशि प्रतिबन्धन की अवधि अदायगी की अवधि (प्रतिबन्धन की अवधि सहित) ब्याज दर	लाख रुपये वर्ष वर्ष %	
		<u>इक्विटी के घटक</u>	इक्विटी की धनराशि पहले 10 वर्ष के लिए इक्विटी पर लाभांश 11वें वर्ष में व उससे आगे इक्विटी पर लाभांश छूट की दर	लाख रुपये % प्रति वर्ष % प्रति वर्ष %	
		<u>मूल्य—ह्रास</u>	पहले 12 वर्ष के लिए ह्रास की दर 13वें वर्ष में व उससे आगे ह्रास की दर उत्पादन आधारित प्रोत्साहन	% % % प्रति वर्ष	
		<u>प्रोत्साहन</u>	जी बी आई के लिए अवधि	वर्ष	
4	संचालन व रखरखाव	संचालन व रखरखाव का मानक व्यय संचालन व रखरखाव पर प्रतिवर्ष व्यय संचालन व रखरखाव के व्यय में होने वाली बढ़ोत्तरी के कारक		लाख रुपये/ मेगावॉट लाख रुपये %	
5	कार्यशील पूँजी	संचालन व रखरखाव का व्यय रखरखाव स्पेयर जो प्राप्त होना है कार्यशील पूँजी पर ब्याज	(संचालन व रखरखाव के व्यय का %)	महीने % % प्रति वर्ष	

प्रपत्र–2.1: (बायोमास, नगरीय ठोस अपशिष्ट, उच्छिष्ट से बनने वाले ईंधन व गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन) के अनुमानित मानकों के लिए नमूने का प्रपत्र

क.सं.	अनुमानित मद	उप–मद	उप–मद (2)	इकाई	मूल्य
1	विद्युत उत्पादन	क्षमता	संस्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता सहायक उपभोग कारक पी.एल.एफ. (स्थिरीकरण के दौरान 6 महीने तक) पी.एल.एफ. (स्थिरीकरण के बाद पहले वर्ष के दौरान) पी.एल.एफ. (दूसरे वर्ष में व आगे) व्यावसायिक उत्पादन की तिथि उपयोगी जीवनकाल	मेगावॉट % % % % माह / वर्ष वर्ष	
2	परियोजना लागत	पूँजीगत लागत / मेगावॉट	मानक पूँजीगत लागत पूँजीगत लागत पूँजीगत अनुदान, यदि कोई है शुद्ध पूँजीगत लागत	लाख रुपये / मेगावॉट लाख रुपये लाख रुपये लाख रुपये	
3	वित्तीय अनुमान	ऋण:इक्विटी	दर की अवधि ऋण इक्विटी ऋण की कुल राशि इक्विटी की कुल राशि	वर्ष % % लाख रुपये लाख रुपये	
		ऋण के घटक	ऋण की राशि प्रतिबन्धन की अवधि भुगतान की अवधि (प्रतिबन्धन की अवधि सहित) ब्याज दर	लाख रुपये वर्ष वर्ष %	
		इक्विटी के घटक	इक्विटी की राशि पहले 10 वर्ष के लिए इक्विटी पर लाभांश 11वें वर्ष में व उससे आगे इक्विटी पर लाभांश छूट की दर	लाख रुपये % प्रति वर्ष % प्रति वर्ष %	
		मूल्य–ह्रास	पहले 12 वर्ष के लिए मूल्य ह्रास की दर 13वें वर्ष के लिए व उससे आगे मूल्य–ह्रास की दर	% %	
		प्रोत्साहन	उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, यदि कोई है जी बी आई के लिए अवधि	लाख रुपये प्रति वर्ष वर्ष	
4	संचालन व रखरखाव	संचालन व रखरखाव का मानक व्यय प्रति वर्ष संचालन व रखरखाव पर व्यय संचालन व रखरखाव में होने वाली बढ़ोत्तरी के कारक		लाख रुपये / मेगावॉट लाख रुपये %	
5	कार्यशील पूँजी	संचालन व रखरखाव का व्यय रखरखाव रखरखाव स्पेयर जो प्राप्त होना है बायोमास का भण्डार कार्यशील पूँजी पर ब्याज	संचालन व रखरखाव के व्यय का %)	महीने % महीने महीने % प्रति वर्ष	
6	ईंधन से सम्बन्धित अनुमान	केन्द्र की ऊष्मा दर	स्थिरीकरण के दौरान स्थिरीकरण के बाद	Kcal/kWh Kcal/kWh	
		ईंधन के प्रकार व मिश्रण	बायोमास ईंधन टाइप–1 बायोमास ईंधन टाइप–2 नगरीय ठोस अपशिष्ट ईंधन उच्छिष्ट से प्राप्त ईंधन जीवश्म ईंधन (कोयला) बायोमास ईंधन टाइप–1 का जी.सी.बी. बायोमास ईंधन टाइप–2 का जी.सी.बी. जीवश्म ईंधन (कोयला) का जी.सी.बी. बायोमास का मूल्य (टाइप–1 ईंधन) : वर्ष 1 बायोमास का मूल्य (टाइप–2 ईंधन) : वर्ष 1 जीवश्म ईंधन का मूल्य (कोयला): वर्ष 1 ईंधन के मूल्य के बढोत्तरी के कारक	% % % % % kCal/ कि०ग्रा० kCal/ कि०ग्रा० kCal/ कि०ग्रा० रुपये / एम टी रुपये / एम टी रुपये / एम टी % प्रति वर्ष	

प्रपत्र 1.2: (बायोमास विद्युत, नगरीय अपशिष्ट, उच्छिष्ट से प्राप्त ईंधन या गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन घटकों के निर्धारण के लिए नमूने का प्रपत्र)

		वर्ष																																		
उत्पादित इकाई	इकाई	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
संस्थापित क्षमता	मेगावॉट																																			
शुद्ध उत्पादन	एम यू																																			

		वर्ष																																		
उत्पादित इकाई	इकाई	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
संचालन व रखरखाव का व्यय	लाख रुपये																																			
मूल्य ह्रास	लाख रुपये																																			
सावधि ऋण पर ब्याज	लाख रुपये																																			
कार्यशील पूँजी पर ब्याज	लाख रुपये																																			
इक्विटी पर लाभांश	लाख रुपये																																			
कुल नियत लागत	लाख रुपये																																			

		वर्ष																																		
प्रति इकाई टैरिफ के घटक	इकाई	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
प्र0 इ0 संचालन व रखरखाव का व्यय	₹/kWh																																			
प्र0 इ0 मूल्य ह्रास	₹/kWh																																			
सावधि ऋण पर प्र0 इ0 ब्याज	₹/kWh																																			
कार्यशील पूँजी पर प्र0 इ0 ब्याज	₹/kWh																																			
इक्विटी पर प्र0 इ0 लाभांश	₹/kWh																																			
प्र0इ0 कुल नियत घटक	₹/kWh																																			

		वर्ष																																		
सम टैरिफ	इकाई	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34.	35
छूट का कारक	₹/kWh																																			
छूट का कारक	₹/kWh																																			
सम टैरिफ	₹/kWh																																			

प्रपत्र 2.2: (बायोमास विद्युत या गैर जीवाश्म आधारित सह–उत्पादन): दर के घटकों के निर्धारण के लिए नमूने का प्रपत्र

		वर्ष																																		
उत्पादित इकाई	इकाई	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
संस्थापित क्षमता	मेगावॉट																																			
शुद्ध उत्पादन	एम यू																																			

		वर्ष																																		
टैरिफ के घटक (नियत शुल्क)	इकाई	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
संचालन व रखरखाव का व्यय	लाख रुपये																																			
मूल्य–ह्रास	लाख रुपये																																			
सावधि ऋण पर ब्याज	लाख रुपये																																			
कार्यशील पूँजी पर ब्याज	लाख रुपये																																			
इक्विटी पर लाभांश	लाख रुपये																																			
कुल नियत लागत	लाख रुपये																																			

		वर्ष																																		
दर के घटक (परिवर्तनीय शुल्क)	इकाई	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
बायोमास ईंधन टाइप–1	लाख रुपये																																			
बायोमास ईंधन टाइप–2	लाख रुपये																																			
नगरीय ठोस अपशिष्ट	लाख रुपये																																			
उच्छिष्ट से बना ईंधन	लाख रुपये																																			
जीवाश्म ईंधन (कोयला)	लाख रुपये																																			
उप–योग (ईंधन की लागत)	लाख रुपये																																			
विद्युत के लिए आवंटन योग्य ईंधन लागत	%																																			
ईंधन की कुल लागत	लाख रुपये																																			

		वर्ष																																		
प्रति इकाई टैरिफ घटक	इकाई	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
प्रति इकाई संचालन व रखरखाव का व्यय	₹/kWh																																			
प्रति इकाई मूल्य–ह्रास	₹/kWh																																			
सावधि ऋण पर प्रति इकाई ब्याज	₹/kWh																																			
कार्यशील पूँजी पर प्रति इकाई ब्याज	₹/kWh																																			
इक्विटी पर प्रति इकाई लाभांश	₹/kWh																																			
प्रति इकाई कुल घटक नियत	₹/kWh																																			
प्रति इकाई कुल घटक (परिवर्तनीय)	₹/kWh																																			
प्रति इकाई कुल नियत घटक (योग)	₹/kWh																																			

		वर्ष																																		
सम टैरिफ	इकाई	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
छूट के कारक	₹/kWh																																			
टैरिफ में छूट के घटक (नियत)	₹/kWh																																			
टैरिफ में छूट के घटक (परिवर्तनीय)	₹/kWh																																			
टैरिफ में छूट के घटक (कुल)	₹/kWh																																			
सम टैरिफ (नियत)	₹/kWh																																			
सम टैरिफ (परिवर्तनीय)	₹/kWh																																			
सम टैरिफ (कुल)	₹/kWh																																			

आयोग के आदेशानुसार,

नीरज सती,

सचिव,

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 09 हिन्दी गजट/122–भाग 1–क–2019 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।